शुक्रवार,
१९ फरवरी, १९५४

सत्यमेव जयते

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

छठा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

# लोक सभा

शुक्रवार, १९ फरवरी, १९५४

---

सभा दो बजे समवेत हुई ।

[ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ]।

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**डिप्लोमेटिक एनक्लेव (चाणक्यपुरी) दिल्ली**

*१३४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चाणक्यपुरी जिसे पहले डिप्लोमेटिक एनक्लेव कहा जाता था, बनाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) इस बस्ती में सरकार कितनी इमारतें बनवा रही है ?

(ग) इस क्षेत्र में रहने के लिये तथा अन्य कार्यों के लिये सरकार जो खास खास इमारतें बनवा रही है अथवा विदेशी राष्ट्र जो बनवाना सोच रहे हैं उनके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). एक विवरण जिसमें वहां की प्रगति दिखाई गई है, सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८]**

(ग) दो या तीन वर्ष में ।





**श्री एम० एल० द्विवेदी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस कोलनी के बसाने के लिये कितना रुपया इयरमार्क किया है और उसमें से अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : १२५· २६ लाख का प्रविजन था, उस रकम में से कितना खर्च हो चुका है, उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन से देशों ने इस कॉलोनी में दूतावास बनाने के लिये स्थान लिये हैं और किन २ लोगों ने काम शुरू कर दिया है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : जापान, आस्ट्रेलिया, थाईलैंड, यू० के०, बर्मा, इंडोनेशिया, सीलोन, पुर्तगाल, वैटिकन, पाकिस्तान और बेलजियम, इन में से चार देशों ने अपना काम शुरू कर दिया है ।

**सरदार ए० एस० सहगल** : वह कौन कौन से देश हैं ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह तफसील की बात है ।

**श्री एस० एन० दास** : चाणक्यपुरी जो नाम रखा गया है, यह नाम कब रखा गया और क्या इसका नाम पहले कृष्णपुरी था ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसका नाम पहले कृष्णपुरी नहीं था, चाणक्यपुरी नाम रखे हुए कोई चार महीने का अर्सा हुआ ।

## उर्वरक

*१३५. **श्री बंसल** : क्या **उत्पादन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिन्दरी से उर्वरकों के वितरण के सम्बन्ध में पहली जनवरी, १९५४ से कोई नई व्यवस्था की गई है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या ?

**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) तथा (ख) . जी नहीं । उर्वरकों को केन्द्रीय उर्वरक संग्रह तथा संबंधित राज्य सरकारों के मार्फत बांटने की पुरानी व्यवस्था चल रही है ; परन्तु इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि व्यवस्था में सुधार हो और आनुषंगिक व्यय में भी यथासंभव कमी हो ।

**श्री बंसल** : क्या सरकार को पता है कि जो पुरानी व्यवस्था है उस में काश्तकारों को उर्वरक नहीं मिल पाता है ।

**श्री आर० जी० दुबे** : आम तौर से उन्हें मिल रहा है लेकिन हाल ही में राज्य के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था । इन सब बातों पर उसमें विचार हुआ था और अब सरकार ने वितरण में सुधार करने के लिये कदम उठाये हैं ।

**श्री बंसल** : काश्तकारों को उर्वरक बांटने के सम्बन्ध में राज्य सरकारें प्रति टन क्या मुनाफा लेती हैं ?

**श्री आर० जी० दुबे** : मैं यह नहीं बता सकता कि वे कितना मुनाफा लेती हैं परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि पहले रेल भाड़ा और आनुषंगिक व्यय बहुत ज्यादा था और इस लिये काश्तकारों को उर्वरक महंगे दामों में मिलता था । हाल ही में यह फैसला किया गया है कि हम सारे भारत में रेल भाड़ा केवल ३५ रुपये के हिसाब से ही लें और आनुषंगिक व्यय भी ३० रुपये से अधिक न हो । आशा की जाती है कि इससे दाम कम हो जायेंगे और लोग आसानी से इसे खरीद सकेंगे ।

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)**: मैं यह और बता दूं कि राज्य सरकारों ने इन उर्वरकों पर मुनाफा लेने का कोई प्रयत्न नहीं किया है ।

ऐसी शिकायत की गई थी कि आनुषंगिक व्यय ज्यादा है, इसलिये इसे कम करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों विचार कर रही हैं ।

**श्री बंसल** : यदि राज्य सरकारों से वितरण का काम न करवा कर कोई और व्यवस्था की जाये, तो क्या आनुषंगिक व्यय में काफी कमी नहीं हो सकती ?

**श्री के० सी० रेड्डी** : जी हां । इस विषय पर भी विचार हुआ है और सिन्दरी फर्टीलाइजर लिमिटेड वितरण का काम कुछ समय बाद लेने की इच्छा रखती है । अभी परिवर्तन करने में कुछ कठिनाइयां हैं । सरकार सारे मामले पर बराबर विचार कर रही है लेकिन इस वर्ष वर्त्तमान व्यवस्था को ही जारी रखने का इरादा है ।

**श्री झुनझुनवाला** : क्या राज्य सरकारें काश्तकारों को उर्वरक बेचने के लिये कोई विक्रय एजेन्ट नियुक्त करती है ?

**श्री आर० जी० दुबे** : कोई विक्रय एजेन्ट नहीं हैं ।

## सरकारी कर्मचारियों के लिये मनोरंजन सुविधायें

*१३६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विनय नगर की तरह अन्य बस्तियों में भी सरकारी कर्मचारियों के मनोरंजन के लिये सुविधायें देने का विचार करती है ?

(ख) यदि हां, इसके लिये किन किन बस्तियों पर विचार हो रहा है ?

(ग) क्या सरकार को अन्य बस्तियों से मनोरंजन के लिये इस तरह का प्रबन्ध करने के बारे में कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ है ?

**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). कुछ बस्तियों में मनोरंजन की सुविधायें मौजूद हैं । जहां नहीं हैं, वहां ऐसी बस्तियों के निवासियों की ज़रूरतों पर, मनोरंजन-सुविधायें देने की दृष्टि से, विचार किया जाता है ।

(ग) जी हां ।

**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : विनय नगर पर कितना खर्च हुआ है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : २०,००० रुपये ।

**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या सरकार ऐसी हर एक बस्ती पर, जिसने अभ्यावेदन किया है, इतनी ही राशि खर्च करेगी ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस तरह की कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती, परन्तु प्रार्थनाओं की जांच की जायेगी और उचित सुविधायें दी जायेंगी ।

**लंका में भारतीय**

*१३७. **सेठ गोविंद दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लंका में १९५३ में कितने भारतीयों ने लंका की नागरिकता के अधिकार प्राप्त किये ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : १०,७९० ने ।

**सेठ गोविंद दास** : क्या सन् १९५४ में भी जो लोग वहां पर भारत के रहते हैं, वह सीलोन के नागरिक हो सकेंगे ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : सरकार के पास लंका में रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों से बहुत सारे प्रार्थना-पत्र आये हैं । उनमें से बहुत से प्रार्थना-पत्रों पर फैसला हो गया है । कुछ को नामंजूर कर दिया गया है, परन्तु बहुत से ऐसे हैं जिन पर अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

**सेठ गोविंद दास** : वह दरख्वास्तें, जो जो अभी बाकी हैं उनका फैसला कब तक हो जायेगा ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : हमारी सरकार और लंका सरकार के मध्य अभी जो समझौता हुआ है, उसमें एक शर्त यह है कि अगले दो वर्षों में इस सब प्रार्थना-पत्रों पर अन्तिम रूप से फैसला कर लिया जायेगा ।

**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : जिनकी एप्लीकेशन्स मंजूर नहीं हुई, उनका क्या होगा ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : हमारे दृष्टि-कोण से, वे भारतीय नागरिक नहीं हैं । वे लंका में ही हैं । हां, अभी आप उन्हें राज्य-हीन व्यक्ति कह सकते हैं ।

**श्री अलगू राय शास्त्री** : उनकी तादाद कितनी होगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । श्री बी० एस० मूर्त्ति ।

**श्री बी० एस० मूर्ति** : भारत और लंका के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के फलस्वरूप लंका में भारतीय उद्भव के कितने लोगों को नागरिकता मिलने की आशा है ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : मेरे लिये संख्या बताना कठिन है ।

**श्री रघुरामय्या** : क्या माननीय मंत्री को कल के "ईवनिंग एक्सप्रेस" में छपे समाचार के बारे में पता है जिसमें कहा गया है कि लंका सरकार भारतीय उद्भव के लोगों को इस अभिप्राय से विशेष प्रलोभन देने का विचार कर रही है कि वे अपने आप को

भारतीय नागरिकों के रूप में रजिस्टर करा लें और क्या सरकार इस बात को देखने के लिये कोई कार्यवाही करेगी कि हाल ही में हुए समझौते की भावना के विपरीत कोई चीज़ न हो ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : हम इसका जरूर ध्यान रखेंगे ।

**नेपाल मिल्स**

***१३८. सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपा पेपर परियोजना की परीक्षा करने के लिये जो विशेषज्ञ कमेटी नियुक्त की गई थी क्या उसने अपनी रिपोर्ट दी है ;

(ख) कमेटी की उपपत्तियां क्या; तथा

(ग) क्या पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इस परियोजना के लिये राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये का और ऋण दिया गया है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख). जी हां , श्रीमन्, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं , श्रीमान् ।

**श्री मुनिस्वामी** : इन मिलों पर अब तक राज्य सरकार तथा केन्द्र द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : अब तक केन्द्र ने कोई राशि व्यय नहीं की है । मिलों की पूंजी १४० लाख रुपये है तथा राज्य सरकार २६० लाख रुपये से कुछ अधिक व्यय कर चुकी है ।

**सरदार ए० एस० सहगल** : यह क्या सच है कि स्टेट गवर्नमेन्ट ने पंच साला योजना को अमल में लाने के लिये एक करोड़ रुपये की मांग की है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मामला विचाराधीन है । वास्तव में, राज्य सरकार भारत सरकार से कुछ सहायता चाहती है । इस सम्बन्ध में कैसी और कितनी सहायता दी जानी चाहिये, यह इस बात पर निर्भर है कि इस विशेष औद्योगिक यूनिट का भविष्य कैसा होगा । जैसा कि मैंने बतलाया हम रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं तथा रिपोर्ट की उपलक्षणाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से शीघ्र ही बातचीत करेंगे ।

**सरदार ए० एस० सहगल** : क्या यह सत्य नहीं है कि जो विशेषज्ञ कमेटी नियुक्त की गई थी उसने नेपा मिल्स को और अधिक अनुदान देने की भी सिपारिश की है ?

**श्री टी० टी० कृष्णनाचारी** : यदि मैं इस प्रश्न का इस समय उत्तर दे देता हूं तो मैं उस बातचीत के सम्बन्ध में प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर दूंगा जो राज्य सरकार के साथ होने वाली है तथा जो एक प्रकार से गुप्त सी होगी ।

**सेठ गोविंद दास** : क्या यह सत्य नहीं है कि राज्य सरकार ने लिखा है कि मिलों को चलाने के लिये कम से कम एक करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और इसीलिये कम से कम इतनी राशि तो केन्द्रीय सरकार को देनी ही चाहिये ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मामले की जांच करने से तो ऐसा पता लगता है कि एक करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की आवश्यकता होगी ।

**पुर्तगाली बस्तियों में जनमत संग्रह**

***१३९. श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि हाल ही में पुर्तगाली प्राधिकारियों ने भारत में पुर्तगाली बस्तियों में पुर्तगाली शासन के लाभ के सम्बन्ध में 'जनमत संग्रह' करवाया था;

(ख) यदि हां, तो कितने स्थानों में; तथा

(ग) जनमत संग्रह का ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) से (ग) भारत सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार ड्यू के राज्यपाल ने ड्यू, वनकबारा तथा गोघोला में सभायें बुला कर लोगों को प्रश्नावलियां दे दी थीं। लोगों से कहा गया था कि वे अपना नाम, पता, जाति, पेशा आदि लिख कर निम्नलिखित दो प्रश्नों का उत्तर दें :

(१) क्या वह व्यक्ति पुर्तगाली शासन के अन्तर्गत प्रसन्न है; तथा

(२) क्या उस व्यक्ति की आवश्यकतायें पूरी हो रही हैं तथा क्या उस को सुख-सुविधायें देने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

ऐसा समझा जाता है कि इन फार्मों को सभाएं समाप्त होने पर जमा कर लिया गया था और उन्हें गोवा के प्राधिकारियों के पास भेजा जाना था ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** : राज्यपाल द्वारा सम्बन्धित स्थानों के लोगों में इस प्रकार की प्रश्नावलियां प्रचालित करके, जिनका उत्तर यदि नकारात्मक दिया जाये तो दंडित होने की सम्भावना रहती है, जो अप्रत्यक्ष दबाव डाला जा रहा है, उसको दूर करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या करने का विचार है ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : वह उनका राज्य है। मेरे विचार में भारत सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि इन मामलों का सम्बन्ध वहां की आन्तरिक बातों से है ।

**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारत में पुर्तगाली सरकार बम्बई की आंग्ल-पुर्तगाली पत्रिकाओं तथा भारत-पुर्तगाली संस्थाओं द्वारा अपने जनमत संग्रह के बारे में प्रचार कर रही है ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि हमारा ध्यान इस ओर गया है या नहीं पर मैं अवश्य ही इस मामले की छान बीन करूंगा ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्र में प्रकाशित इस आशय की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि डी० सिलवा नामक एक गोआनी के साथ पुलिस ने बहुत बुरा व्यवहार किया था जब कि उसने एक पुर्तगाली अधिकारी को बिदाई भोज देने का विरोध किया था ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : जी हां, हमने ऐसी रिपोर्ट देखी है तथा पता लगा है कि वह व्यक्ति बाद में मर भी गया था। मामले की जांच हो रही है।

**हस्तकरघा उद्योग**

***१४०. श्री मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हाल ही में सरकार ने बिहार में हस्तकरघा उद्योग के विकास के लिये ६२,३०० रुपये के अनुदान की मंजूरी दी है ;

(ख) क्या हाल ही में इस प्रकार का अनुदान और किसी राज्य को भी दिया गया है; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि इस अनुदान के अन्तर्गत एक मोटर गाड़ी की भी व्यवस्था होगी ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अन्य राज्यों को भी अनुदान मंजूर किये गये हैं ।

(ग) भाग (क) में जिस अनुदान का निर्देश किया गया है उसमें मोटरगाड़ी के खरीदे जाने की भी व्यवस्था है ।

**श्री मुनिस्वामी** : क्या यह सत्य है कि माननीय मंत्री ने आन्ध्र के मुख्य मंत्री को इस बात का आश्वासन दिया था कि उस राज्य के लिये विशेष तौर पर अतिरिक्त राशि का नियतन किया जायेगा ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जिस रूप में यह बात कही गई है उस रूप में ठीक नहीं है। किन्तु मैंने आन्ध्र के मुख्य मंत्री के साथ बातचीत की थी और मैंने उनसे कहा था कि यदि भारत सरकार के सामने कोई योजना रखी गई तो वह उस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेंगे ।

**श्री मुनिस्वामी** : जो सहकारी समितियां भविष्य में खोली जायेंगी क्या उनके सम्बन्ध में जुलाहों की अंश-पूंजी का पूरा पूरा भुगतान सरकार उपकर नियतन में से करेगी ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी**: इन सहकारी समितियों का सदस्य बनने के लिये सरकार जुलाहों को ऋण देती है ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : अन्य राज्यों को कुल कितना अनुदान दिया गया है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : अब तक बिहार को जो कुल राशि दी गई है वह १८ लाख रुपये से अधिक है तथा अब तक जितना अनुदान मंजूर किया गया है वह है १२,७६,२६० रुपये ।

**श्री एस० सी० देव** : क्या इस प्रकार के अनुदान आसाम को भी दिये गये हैं और यदि हां, तो किस प्रकार कितनी राशि दी गई तथा इस राशि को प्रयोग में लाने की क्या योजना है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : यदि माननीय सदस्य अलग से ऐसे प्रश्न की सूचना दें तो मैं इसका अवश्य उत्तर दूंगा ।

**लंका को अवैध उत्प्रवास**

*१४१. **श्री एस० एन० दास**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३ में विधि का उल्लंघन करके लंका को उत्प्रवास करने की चेष्टा करने वाले कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन पर अभियोग चलाया गया तथा उनकी संख्या क्या है जो अपराधी सिद्ध हुए और दण्डित किये गये; और

(ग) क्या गत वर्ष की तुलना में इस प्रकार के अपराधों में कमी हुई है ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) १३४० ।

(ख) इन सब व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया और अधिकतर मामलों में वे अपराधी सिद्ध हुए ।

(ग) जी हां ।

**श्री एस० एन० दास** : मैं भारतीय उद्भव के उन व्यक्तियों की संख्या जान सकता हूं जिन्हें लंका सरकार ने अवैध आप्रवासी पाया और जिनके निर्वासन का प्रबन्ध करने के लिये लंका में स्थित भारत के उच्च आयुक्त से प्रार्थना की गई ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : क्या माननीय सदस्य ऐसे मामलों की संख्या चाहते हैं ?

**श्री एस० एन० दास** : जी हां ।

**श्री अनिल के० चन्दा** : मुझे खेद है, इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

**श्री एस० एन० दास** : हाल में किये गये करार के पश्चात् तथा इस के फलस्वरूप अवैध आप्रवास के दबाने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : वस्तुतः दोनों सरकारें अवैध आप्रवास को रोकने के लिये भरसक प्रयास कर रही हैं और हाल ही में, नवम्बर १९५३ के अन्त में, लंका के प्रधान मंत्री ने एक सार्वजनिक भाषण में बताया कि अवैध आप्रवास कम हो रहा है और उन्होंने लंका में ऐसे आप्रवास को रोकने में हमारी सरकार की सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट की।

**श्री टी० एस० ए० चेटियार**: तब आप्रवासों की संख्या में हुई इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : उस में तो कमी हुई है।

**श्री वल्लाथरास** : क्या सरकार इस आप्रवास के कारण बता सकती है, अर्थात लंका में अवैध आप्रवास के लिये क्या प्रलोभन है ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : मद्रास के दक्षिणी तट के आस पास रहने वाले लोगों के लंका जाने की बात बहुत समय से चली आ रही है, क्योंकि वहां भारत के कुशल श्रमिकों की बहुत मांग है।

## उत्तर पूर्वी सीमान्त एजंसी

*१४२. **श्री बी० सी० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर पूर्वी सीमांत एजन्सी के आदिमजातियों के बारे में गवेषणा कराने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह कार्य संभालने के लिये डा० वेरीनर एल्विन को आमंत्रित किया है; और

(ग) यदि ऐसा है तो इस गवेषणा का कार्यक्षेत्र तथा प्रयोजन क्या है ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) से (ग) . डा० वेरियर एल्विन, उत्तर पूर्वी सीमान्त एजन्सी प्रशासन को आदिमजाति सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा देने के लिये नरतत्वी सलाहकार नियुक्त किये गये हैं। उन्हें गवेषणा का कोई विशेष क्षेत्र नहीं सौंपा गया परन्तु निस्संदेह वे ऐसा सामाजिक और नरतत्वीय अध्ययन करेंगे जो उनके कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक हो।

**श्री बी० सी० दास** : डा० एल्विन को क्या वेतन दिया जायेगा और उन्हें क्या अन्य सुविधाएं प्रस्तुत की गई हैं ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : वे तीन वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त किये गये हैं और उन्होंने पहली जनवरी १९५४ को अपना पद संभाला। उनका प्रति मासिक मान-वेतन १५०० रुपये है।

**श्री बी० सी० दास** : क्या भारतीय अनुसंधान कर्ताओं को उनके साथ लगाया जायेगा।

**श्री अनिल के० चन्दा** : नरतत्वी विभाग के हमारे कुछ अनुसंधानकर्ता पहले ही इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। स्वभावतः, जब कभी आवश्यकता पड़े तो उन्हें भारतीय अनुसंधानकर्ताओं की सहायता प्रदान की जायेगी।

**श्री यू० सी० पटनायक** : क्या सरकार को पता है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में व्यक्त डा० एल्विन के विचार यह हैं कि आदिमजाति के लोगों को मैदान के लोगों से अलग कर देना चाहिये

ताकि वे भारत के किसी भाग के मैदान के लोगों के विचारों से दूषित न हों।

**श्री अनिल के० चन्दा** : डा० एल्विन की पुस्तकें काफी प्रसिद्ध हैं और मुझे विश्वास है कि इस विषय में सरकार को उन के विचार विदित हैं।

**श्री यू० सी० पटनायक** : क्या सरकार उन के विचारों का अनुमोदन करती है कि मैदान के लोगों को आदिमजातियों से पृथक रखना चाहिये ताकि आदिमजातियां मैदान के लोगों के प्रगतिशील विचारों से दूषित न हों ?

**श्री अनिल के० चन्दा** : यह अनुमोदन करने अथवा न करने का प्रश्न नहीं। हमें कतिपय विषयों पर उनका विशेषज्ञ परामर्श चाहिये।

**गंधक**

*१४३. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ और १९५३-५४ में भारत में गंधक का वार्षिक उत्पादन कितना रहा ;

(ख) १९५३ में भारत में कितना उपभोग हुआ; तथा

(ग) वर्ष १९५३-५४ में कितनी गंधक आयात की गई ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) भारत में गंधक का कोई उत्पादन नहीं होता

(ख) वर्ष १९५३-५४ में लगभग ५०,००० टन का उपभोग होने की आशा है।

(ग) अप्रैल से दिसम्बर १९५३ तक ३६,४५७ टन।

**श्री नानादास** : उत्तर के भाग (क) से प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हमारे देश में गंधक उत्पादन की सर्वथा कोई संभावना नहीं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, भारत में गंधक के कोई निक्षेप नहीं हैं।

**श्री जोकीम आल्वा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभाजन पश्चात् हम बलोचीस्तान में प्राप्त होने वाली गंधक से वंचित हो गये हैं और कन्नड़ के मेरे निर्वाचन-क्षेत्र अर्थात उत्तरी कन्नड़ में गंधक पाई गई है, क्या सरकार ने गंधक जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के स्रोतों की खोज तथा उनका शोषण करने के लिये कुछ किया है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में गंधक के कोई निक्षेप नहीं हैं।

**श्री झूलन सिन्हा** : क्या यह सच है कि बिहार के शाहाबाद जिला में गंधक का एक स्रोत पाया गया है और क्या वहां खान खोदने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी**: यह जानकारी मुझे माननीय सदस्य से प्राप्त हुई है।

**फेरो-सिलिकॉन**

*१४४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में देश में कितनी मात्रा में फेरो-सिलिकॉन का उत्पादन हुआ था तथा विदेशों से कितनी मात्रा आयात की गई थी।

(ख) इसके उत्पादन की लागत आयातित फेरो-सिलिकॉन के तटागत मूल्य की तुलना में कैसी बैठती है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) स्थानीय उत्पादन ३,७८१ टन था। १९५३ में इसका कुछ आयात नहीं किया गया।

(ख) क्योंकि १९५३ में कुछ आयात नहीं किया गया, वर्तमान लागतों की ठीक ठीक तुलना करना सम्भव नहीं।

**ग्राम उद्योग**

***१४५. श्री दाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की गवेषणा समिति ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम उद्योगों में वर्तमान टेकनालोजी का उपयोग करने के निमित्त एक सुसज्जित आधुनिक गवेषणा संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में एक योजना सूत्रित की है ; तथा

(ख) यदि हां, तो गवेषणा समिति ने अपनी रिपोर्ट में किन किन मुख्य सिफारिशों अथवा सुझावों का उल्लेख किया है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) बोर्ड के गवेषणा विभाग ने ऐसी योजना बनाई है।

(ख) जानकारी सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९**]

**श्री दाभी** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने एक गवेषणा संस्था खोलने के सम्बन्ध में गवेषणा समिति की योजना स्वीकार कर ली है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : बोर्ड के गवेषणा विभाग ने जिस योजना का सुझाव दिया है उसका एक भाग वित्त मंत्रालय के पास है। मेरे लिये यह कहना कठिन है कि वित्त मंत्रालय के समक्ष जो सुझाव है उस पर कब तक निर्णय किया जायेगा।

**श्री दाभी** : मैं जान सकता हूं कि क्या विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशें स्वीकार करने में सरकार के सामने कोई कठिनाई आती है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : स्वाभाविक ही है कि वित्त के मामले में जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। कदाचित कुछ कठिनाइयां हों। मैं नहीं कह सकता कि किस प्रकार की कठिनाइयां हैं। इस बात के दृष्टिगोचर कि इस मामले में कुछ विलम्ब हुआ है, निश्चय ही सरकार के सामने कुछ कठिनाइयां होंगी जिन के कारण वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकती। हो सकता है कि हम शीघ्र ही निर्णय कर पायें।

**श्री एस० एन० दास** : इस विषय में प्राक्कलित व्यय कितना है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : १९५३-५४ के लिये वर्तमान योजना पर २५,००० रुपये लगेंगे। १९५४-५५ के लिये ३,९५,४०० रुपये की योजना है और १९५६-५७ तक चलने वाली कई वर्षों की और योजनायें हैं। यदि वह सारी स्वीकार कर ली जायें, उन पर ७९ लाख से कुछ अधिक कुल व्यय होगा।

**श्री मुनिस्वामी** : मैं जान सकता हूं कि क्या विद्यार्थियों को ग्राम उद्योगों सम्बन्धी परीक्षण देने के लिये सरकार का कोई परीक्षण केन्द्र खोलने का विचार है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : कुछ प्रस्थापनायें हैं परन्तु मैं निश्चित रूप से नहीं सकता कि यह क्या हैं क्योंकि मुझे इनके बारे में कुछ याद नहीं है। मेरा विचार है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग संगठन ने कुछ सुझाव दिये हैं और इनमें से कुछ स्वीकार भी हुए हैं।

**अफ्रीका में भारतीय**

***१४६. डा० राम सुभग सिंह** : **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि दक्षिणी और उत्तरी रोडेशिया और न्यासालेंड के तीन केन्द्रीय अफ्रीकी संघबद्ध राज्यों में

भारतीयों की इन राज्यों के अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उन के साथ किस तरह से विभेद किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूचना है कि इन राज्यों की सरकारें भारतीयों के आप्रवास पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रहीं है ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)**: (क) तथ (ख). भारतीयों को अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं । यह बात दक्षिणी रोडेशिया के सम्बन्ध में, जहां उन्हें कई निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से सत्य है । उदाहरणतया उन्हें देश के सशस्त्र बल में नहीं लिया जाता, वे असैनिक सेवाओं की 'निश्चित' स्थापना में नियुक्त नहीं किये जा सकते और उन्हें आग्नेयास्त्र खरीदने, रखने और बेचने के लिये विशेष परमिट लेने पड़ते हैं ।

(ग) इस प्रकार की कार्यवाही की कोई सरकारी घोषणा नहीं की गई, किन्तु हाल के प्रैस समाचारों से पता चलता है कि भारतीयों के आप्रवास पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये नये बनाये गये रोडेशिया और न्यासालैंड संघ के आप्रवास विनियमों का प्रयोग किया जायेगा ।

**डा० राम सुभग सिंह**: मैं जान सकता हूं कि संघबद्ध राज्यों में भारतीय आप्रवास की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**श्री अनिल के० चन्दा**: यह संघान (फेडरेशन) सरकारी तौर पर अभी हाल ही में बना है और कई बातों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीयों को वहां नहीं जाने दिया जायेगा । मैं उस देश के तीन सब से अधिक महत्वपूर्ण नेताओं के भाषणों में से तीन वाक्य उद्धृत करता हूं "भारतीयों के बारे में फेडरल पार्टी की नीति यह थी कि संघान बद्ध राजक्षेत्रों में रहने वाले सब भारतीयों को पूरे तौर पर फेडरल प्रजा समझा जाये, परन्तु औरों को न आने दिया जाये "

मि० डेंडी यंग, जो कि संघान के दूसरे बड़े दल, कन्फ़ेडरेट दल के नेता हैं, कहा है :

> "यदि कन्फेडरेट दल सत्तारूढ़ हो गया तो वह भारतीयों को इस देश में आने से रोक देगा" ।

फेडरल सरकार के मंत्री सर राय वेलेंस्की ने कहा है :

> "आप्रवास नीति पहले से ही लागू की जा रही है। यह चुनाव पर आधारित आप्रवास की नीति है— हम केवल उन आप्रवासियों को लेना चाहते हैं, जिन से देश को आर्थिक लाभ हो सके " ।

**डा० राम सुभग सिंह**: मैं जान सकता हूं कि यह चुनाव किस आधार पर किया जाता है ?

**श्री अनिल के० चन्दा**: १९१४ के संशोधित दक्षिणी रोडेशिया आप्रवासी विनियमन अध्यादेश संख्या ७ के अन्तर्गत यह उपबन्ध किया गया है कि :

(१) कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जिसे गवर्नर ने आर्थिक आधारों पर या जीवन स्तर के कारण अवांछनीय निवासी घोषित किया हो ; और

(२) कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कम शिक्षा के कारण आप्रवास अधिकारी को लिखने और पढ़ने के सम्बन्ध में संतुष्ट नहीं कर सकता ;

प्रतिषिद्ध आप्रवासी समझा जायेगा । इन तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है ।

**डा० राम सुभग सिंह**: क्या भारतीयों को संसद् के या अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों में भाग लेने दिया जाता है ।

**श्री अनिल के० चन्दा :** न्यासालैंड में न्यासालैंड कौंसिल में एक भारतीय सदस्य है किन्तु मैं इस समय यह नहीं कह सकता कि संधान में भारतीयों को पूरा मताधिकार प्राप्त है या नहीं।

**श्री कासलीवाल :** क्या मंत्री महोदय का ध्यान फ्रांस के एक मंत्री श्री रेनो के समाचार-पत्रों में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत केन्द्रीय अफ्रीका को अपनी जनसंख्या के प्रव्रजन के लिए सुरक्षित रखने का प्रयत्न कर रहा है, यदि हां, तो मंत्री जी को इस बारे में क्या कहना है ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** हम ने केवल फ्रेंच मंत्री के ही नहीं बहुत से और मंत्रियों के भी इस प्रकार के कई वक्तव्य पढ़े हैं।

**श्री सारंगधर दास :** मैं जान सकता हूं कि क्या उन भारतीयों को जो न्यासालैंड के जो कि संधान का एक भाग है, निवासी हैं, हाल में मताधिकार से वंचित कर दिया गया है ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता, किन्तु मैं इस मामले की जांच करूंगा।

## डीज़ल इंजन

*१४७. **श्री एस० सी० सामन्त :** **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोई भारतीय समवाय तेज़ रफ्तार के डीज़ल इंजन बनाने का प्रयत्न कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस फ़र्म का नाम क्या है ;

(ग) उन फ़र्मों के नाम जो कि इस समय अपनी कर्मशालाओं में पर्किज तेज़ रफ्तार इञ्जन जोड़ कर तैयार कर रही हैं और उन के कुछ पुर्ज़े बना रही हैं ; और

(घ) सब पुर्ज़े भारत में तैयार करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान्। मैसर्ज़ किरलोस्कर आयल इञ्जन्स लि० किरकी, पूना और मैसर्ज़ हिन्दुस्तान मोटर कारपोरेशन लि० प्रति मिनट १००० या इस से अधिक बार घूमने वाले तेज़ रफ्तार डीज़ल इञ्जन बना रहे हैं।

(ग) मैसर्ज़ सिम्पसन एंड कम्पनी लि० मद्रास को जो कि एक ही फर्म है, जो इस समय पर्किंज डीज़ल इञ्जन जोड़ रही है, घूमने वाले पर्किंज डीजल इंजन जोड़ रही है, घूमन वाले पर्किंज पी–६ डीज़ल इञ्जन बनाने की अनुमति दी गई है।

(घ) देश में उद्योग की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सारे पुर्ज़े देश के अन्दर तैयार करना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ पुर्ज़े विशेष प्रकार के हैं। ऐसे विशेष पुर्ज़े बनाने के लिए भारतीय फ़र्मों को कुछ वर्ष और लगेंगे।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या मैं ऐसे डीज़ेल इंजनों की अनुमानित संख्या जान सकता हूं जो अब भी आयात किए जाते हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मुझे पूर्वसूचना चाहिये। किन्तु मैं यह बता सकता हूं कि २५ अश्वशक्ति वाले इंजनों का आयात हम नहीं करते हैं। हम केवल २५ अश्वशक्ति से अधिक शक्ति वाले इंजनों का आयात होने देते हैं। जिस से स्थानीय निर्माण कार्य को प्रभावी संरक्षण मिल सके।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या सरकार का कोई विचार अन्य देशों से पूरे इंजनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने तथा केवल सम्बद्ध पुर्ज़ों के आयात को उत्साहित करने का है जिससे हम उन्हें यहां एकत्र कर सकें ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** यही स्थिति है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका

हूं कि २५ अश्वशक्ति तथा उससे कम शक्ति वाले इंजनों का आयात अब हमने बन्द कर दिया है । सभी सम्बद्ध पुर्ज़ों का नहीं वरन् कुछ सम्बद्ध पुर्ज़ों का ही आयात किया जाता है क्योंकि यदि सभी सम्बद्ध पुर्ज़ों का आयात किया जायेगा तो स्थानीय उद्योग की उन्नति नहीं हो सकेगी। केवल २५ अश्व शक्ति से अधिक शक्तिशाली इंजनों का ही आयात किया जाता है क्योंकि देश में उनका निर्माण नहीं होता है ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या मैं उन फ़र्मों के नाम जान सकता हूं जो अपनी निर्माण-शालाओं के लिये सहायता चाहती हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस प्रकार की सहायता के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं । यदि वह यह बता सकें कि किस प्रकार की सहायता के सम्बन्ध में वह जानना चाहते हैं तो मैं फ़र्मों के नाम बता सकता हूं। साधारणत: ये निर्माता जिस प्रकार की सहायता चाहते हैं वह यह है कि सभी संस्पर्धी वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी जाये । कुछ हद तक यथासम्भव इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** मैं जानना यह चाहता था कि क्या ऋण अथवा अनुदान के रूप में कुछ सहायता मांगी गई है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** सरकार के सम्मुख एसा कोई आवेदन पत्र नहीं है ।

**योजना आयोग के परामर्शदाता**

*१४८. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) योजना आयोग से सम्बद्ध परामर्शदाताओं की संख्या, उनके नाम, अर्हताएं, वेतन एवं भत्ते ; तथा

(ख) उनकी नियुक्ति की शर्तें ?

**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) तथ (ख). एक विवरण सदन पटल पर रख जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३०**]

**बल्ब उद्योग**

*१४९. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि देशी बल्ब उद्योग को जर्मनी के तथा अन्य विदेशी लैम्पों के आयात किये जाने के कारण अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) देश में तैयार किये गये ऐसे लैम्पों की संख्या ;

(ग) इस देश में इस की वार्षिक मांग ; तथा

(घ) १९५०, १९५१, १९५२ तथा १९५३ में आयात किये गये विदेश-निर्मित लैम्पों की संख्या ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) देशी निर्माताओं की कुछ शिकायतें इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई थीं कि ४०० सी० पी० से अधिक शक्ति वाली लैम्पों के बहाने से ४०० सी० पी० से कम शक्ति वाले बल्ब आयात किये जा रहे हैं ।

(ख) से (घ). एक विवरण सदन पटल पर रख जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१**]

**श्री के० पी० सिन्हा :** मैं जान सकता हूं कि विदेशों से लैम्पों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

**श्री करमरकर :** हमने हाल ही में सभी प्रकार के हरीकेन लैम्पों के आयात पर सामान्यत: ५ प्रतिशत तक और नियन्त्रण लगा दिया है ।

**श्री के० पी० सिन्हा:** हमारे लैम्पों के मूल्यों तथा आयात किए गए लैम्पों के मूल्यों में क्या अनुपात है ?

**श्री करमरकर:** काफी अच्छा है ।

**श्री टी० एन० सिंह:** क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने झूठे बहाने से ऐसे आयात किये हैं ?

**श्री करमरकर:** स्पष्ट बात तो यह है कि इन लोगों का पता नहीं लग सका ।

**पुनर्वास ऋण**

***१५०. श्री डी० सी० शर्मा:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब तथा पेप्सू की सरकारों को क्रमशः कुछ राशि चालू वित्तीय वर्ष में विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास ऋण के रूप में देने के लिये दी है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो दी गई कुल राशि ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले):** (क) हां ।

(ख) पंजाब . . . . ४·३० लाख रुपये
पेप्सू . . . ५·०० लाख रुपये ।

**श्री डी० सी० शर्मा:** पिछले वर्ष के अनुदान और इस वर्ष के अनुदान का क्या अनुपात है ?

**श्री जे० के० भोंसले :** पंजाब तथा पेप्सू दोनों में ही वास्तव में पिछले वर्ष से बहुत सी बिना व्यय की गई राशि शेष रह गई थी। पिछले मार्च में दिए गए ४६·६६ लाख रुपये के ऋण में से पंजाब सरकार के पास १३ लाख रुपये बच रहे थे । ५० लाख रुपये के नगर-ऋण में से, उन के पास १५·६७ लाख रुपये बच गए थे और हमने उन्हें इस राशि का इस वर्ष न उपयोग करने की अनुमति दे दी है ।

**श्री डी० सी० शर्मा:** मैं जान सकता हूं कि क्या ये अनुदान किन्हीं विशेष कार्यों के लिये या सामान्य कार्यों के लिये दिये जाते हैं ?

**श्री जे० के० भोंसले:** शहरी ऋणों के लिये ।

**अध्यक्ष महोदय:** किस प्रयोजन के लिये ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन):** ऋण हमेशा विशेष कार्य के लिये ही दिये जाते हैं । यह ऋण मकान बनाने या व्यापार चलाने के लिये दिया जा सकता है ।

**श्री डी० सी० शर्मा:** यही तो मैं जानना चाहता हूं । किन कार्यों के लिये ये ऋण दिये जाते हैं ? मेरी इस बात का उत्तर नहीं दिया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय:** उसका उत्तर दे दिया था । यह मकान बनाने, व्यापार चलाने आदि जैसे विशेष कार्यों के लिये दिया जाता है ।

**श्री डी० सी० शर्मा:** यह बताने से कुछ लाभ नहीं कि यह "मकान बनाने, व्यापार चलाने आदि जैसे विशेष कार्यों के लिये" दिया जाता है

**श्री ए० पी० जैन:** ऋण हमेशा विशेष कार्यों के लिये ही दिये जाते हैं, जैसे औद्योगिक ऋण, मकान बनाने के लिये ऋण आदि आदि। यह विशेष ऋण व्यापार आदि चलाने के लिये दिया गया था ।

**श्री डी० सी० शर्मा:** मैं जान सकता हूं कि क्या पंजाब, पेप्सू तथा अन्य राज्यों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि ब्याज कम कर दिया जाय और पहिले की अपेक्ष इन ऋणों के भुगतान की अवधि बढ़ा दी जाय ?

**श्री ए० पी० जैन** : अभ्यावेदन तो प्राप्त होते ही रहते हैं और उन पर निर्णय किये जाते हैं।

**चम्बल योजना**

*१५१. **श्री राधेलाल व्यास**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में चम्बल बांध योजना के सम्बन्ध में निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ था ; तथा

(ख) वर्ष १९५४-५५ में इस योजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना धन दिये जाने का विचार है ?

**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) इस योजना से सम्बन्धित कार्यालय, रहने के लिये मकान, सड़कें, संचरण साधन, मशीनरी को खरीदने आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य १९४८-४९ में आरम्भ किये गये थे। गांधी सागर बांध (मध्य भारत) की नींवों की खुदाई का काम जनवरी, १९५३ में आरम्भ किया गया था।

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये धन दिये जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

**श्री राधेलाल व्यास** : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस योजना से कितने एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी और कितनी बिजली का उत्पादन होगा ?

**श्री हाथी** : १२ लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई होगी और ६० हज़ार किलोवाट बिजली शुरू में पैदा होगी।

**श्री राधेलाल व्यास** : क्या इस सम्बन्ध में नहर सर्वे हो चुका है ? उस पर कितना रुपया स्पैसिफिक खर्च होगा ?

श्री हाथी : सर्वे हो रहा है।

**श्री राधेलाल व्यास** : क्या मैं जान सकता हूं कि जो पानी सिंचाई के लिये उपलब्ध होने वाला है उस के बारे में मध्य भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच कोई झगड़ा था और क्या उसका कोई नतीजा निकला ? यदि निकला तो क्या नतीजा निकला ?

**श्री हाथी** : झगड़ा तो नहीं था, थोड़ा मतभेद था, लेकिन समझौता हो गया है।

**श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या आप यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस के द्वारा जल विद्युत् उत्पादन का कार्य भी साथ साथ चलाया जायगा और हां तो कितने साल में वह पूरा होगा और इसका स्कोप कहां तक होगा ?

**श्री हाथी** : मैं आप की बात को समझ नहीं सका हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या वहां कोई जल विद्युत योजना आरम्भ करने का विचार है ? यदि ऐसा है, तो कितने वर्षों में ?

**श्री हाथी** : पहिले गांधी सागर बांध जल विद्युत् पैदा करेगा।

**श्री बलवन्त सिंह महता**: क्या उसे इसके साथ साथ आरम्भ किया जायगा या सिंचाई भाग के समाप्त हो जाने के बाद ?

**श्री हाथी** : वास्तव में यह पहिला कार्य है ; इसे पहिले से ही आरम्भ कर दिया गया है।

**विस्थापित व्यक्तियों के दावे**

*१५२. **श्री हेम राज**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० के अधिनियम ४४ के अन्तर्गत उन दावों तथा पुनर्विचारार्थ प्रस्तुत मामलों की संख्या कितनी है जिन्हें निबटाया नहीं गया है ; तथा

(ख) इनको निबटाने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन):** (क) लगभग १२,०००।

(ख) लगभग ४ महीने।

**श्री हेम राज:** क्या ऐसे बहुत से दावेदार हैं जिन के दावे के प्रार्थना पत्रों का केन्द्रीय कार्यालय में पता नहीं लग रहा है, और यदि ऐसा है, तो क्या वे फिर से दावे कर सकेंगे ?

**श्री ए० पी० जैन:** की गई जांच के परिणाम स्वरूप, जब कि इस अधिनियम की अवधि समाप्त हो रही थी, यह मालूम हुआ कि लगभग १,२०० दावों का पता नहीं लग रहा था और उन दावों के स्थान पार उन की प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं।

**भारतीय मिशनों के लिये निरीक्षणालय**

*१५३. **श्री के० सी० सोधिया:** क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों में भारतीय मिशनों के निरीक्षणालय के कर्मचारीवर्ग की कुल वर्तमान संख्या ;

(ख) क्या वे हमारे मिशनों तथा दूतावासों के हिसाब किताब की परीक्षा करते हैं ; तथा

(ग) क्या उनकी रिपोर्टें नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को भेजी जाती हैं ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** (क) निरीक्षणालय की स्थापना की जा रही है, जिस में दो पदाधिकारी संयुक्त सचिव की स्थिति के होंगे और प्रत्यक के साथ एक निजी सहायक (स्टेनोग्राफर) रहेगा।

(ख) ये निरीक्षक मिशनों के काम का सामान्य निरीक्षण करेंगे जिस में हिसाब किताब की उचित व्यवस्था भी सम्मिलित होगी, परन्तु वे हिसाब किताब की परीक्षा वहीं करेंगे। लेखा-परीक्षा का काम सम्बद्ध लेख-परीक्षा अधिकारियों द्वारा ही किया जायगा, जैसा कि इस समय हो रहा है।

(ग) नहीं, सिवाय उस अवस्था के कि जब कोई सिद्धान्त का प्रश्न उत्पन्न हो जाए जिस पर उनकी मंत्रणा ली जायगी।

**श्री के० सी० सोधिया:** यह कार्य कब आरम्भ होगा ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** श्रीघ्र ही श्रीमान्।

**श्री टी० एन० सिंह:** यदि इन निरीक्षकों को किन्हीं वित्तीय अनियमितताओं का पता लग जाए तो क्या यह उनका कर्त्तव्य नहीं है कि उन्हें भी महालेखा परीक्षक को भेज दें ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** जैसा कि मैं ने बताया है, लेखा-परीक्षा का काम महालेखा परीक्षक के नियन्त्रण में ही रहेगा।

**पाकिस्तान के लिये पारपत्र**

*१५४. **श्री धूसिया :** क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ में पाकिस्तान के लिए जारी किए गए पारपत्रों की संख्या ; तथा

(ख) उन में यू० पी० के रहने वालों की संख्या (ज़िलावार) ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** (क) तथा (ख). इस विषय में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जायगा।

**श्री धूसिया :** यू० पी० से गये हुए किस तारीख तक के व्यक्तियों की सूची सरकार के पास है ?

**अध्यक्ष महोदय:** यू० पी० से गये हुए लोगों के बारे में सरकार के पास किस तारीख तक की जानकारी है ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** मुझे खेद है कि मैं यह जानकारी इस समय नहीं दे सकता हूं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अभी हाल में हमने समाचारपत्रों में पढ़ा था कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच आवागमन के हेतु पारपत्रों के लिए अधिक सुविधाएं दी जाएंगी । सुविधाएं क्या होंगी ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम पारपत्रों तथा दृष्टांको (विज़ाओं) के जारी करने में बहुत उदार रहे हैं । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का निर्देश पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में अपने निर्वाचन सम्बन्धी दौरे में दिए गये एक भाषण की ओर है । यह उस सरकार का काम है कि अपनी नीति को उदार बनाए । हम इस विषय में बड़ी उदारता से काम लेते रहे हैं ।

**श्री सी० भट्ट :** क्या सरकार को इस बात का कुछ ज्ञान है अथवा क्या यह सच है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत तथा भारत से पाकिस्तान बिना पारपत्रों के आते जाते हैं ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** श्रीमान्, सीमाओं के आरपार लोगों का अवैध आवागमन तो संसार में सभी जगह होता रहता है ।

**उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी उपद्रव**

*१५७. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में २ अक्तूबर, १९५३ के उपद्रव के पश्चात् डफला और तागीनों द्वारा बन्दी बना कर रखे गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इस कार्य के लिये भेंजी गई सेना द्वारा कितने व्यक्ति मुक्त कराये गये और कितने अभी भी लापता हैं ;

(ग) उक्त उपद्रव में दोनों ओर के मारे जाने वाले तथा घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) उक्त उपद्रव के पश्चात् वहां के प्रशासन में क्य परिवर्तन किये गये और वहां की राजनीतिक स्थिति क्या थी ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** अभी तक प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उपलब्ध सूचना निम्न है :—

(क) तागीनों द्वारा पकड़ रखे गये व्यक्तियों की संख्या ११४ व्यक्ति

(ख) मुक्त कराये गये—समूचे ११४ व्यक्ति (६२ व्यक्ति मुक्त कराये गये और ५२ व्यक्ति आदिम-जाति अधिरक्षण से भाग निकले ।)

अभी तक लापता एक भी नहीं ।

(ग)

| आदिम जाति के लोग | मृत | घायल |
|---|---|---|
| | ५ | ३९ |
| सरकारी सैन्यदल | २ (दुर्घट-नावश डूब गये) | ११ |

(घ) अब ढिनकोली और तालिहा में प्रत्येक स्थान पर एक-एक सहायक पोलिटिकल अफसर के प्रभार में दो प्रशासन-केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं । उक्त पदाधिकारियों ने घटना के प्रमुख नेताओं को मालूम कर लिया है तथा उनके शीघ्र ही पकड़ लिये जाने की आशा है । पोलिटिकल अफसरों के प्रतिवेदन के अनुसार वे लोग सरकारी रवैये से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं और उनमें से बहुतों ने सरकारी दल के विरोध करने के अपने मूर्खतापूर्ण कृत्य को स्वीकार कर लिया है । लोगों को नमक और वस्त्र दे दिये गये जिसकी

उन्हें घोर आवश्यकता थी और वे अपने गांवों को लौट गये हैं। उन्होंने सरकार को सहयोग देने का वायदा कर लिया है।

**श्री रिशांग किशिंग :** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उपद्रव के कारण की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** मेरी आशंका है कि अभी हम अन्तिम निष्कर्षों पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन प्रतीत होता है कि हमारे शासनकार्य के सम्बन्ध में मिथ्या भ्रम होने से ही उसकी उत्पत्ति हुई और संभवतः उन उक्त रीति से व्यवहार करने का यही कारण था।

**श्री रिशांग किशिंग :** क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उक्त क्षेत्र में कोई रचनात्मक कार्य किया है ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** हां, श्रीमान ; हम सड़कें निर्माण कर रहे हैं ; हम चिकित्सा सहायता आदि प्रदान कर रहे हैं।

**श्री रिशांग किशिंग :** क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक उपद्रव का कोई नेता गिरफ्तार किया गया है अथवा नहीं, और यदि हां, तो उन्हें दण्ड दिया जायेगा अथवा नहीं ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** मेरी आशंका है कि अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है ; लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब हमारे पास उपद्रव कर्त्ता नेताओं के विषय में सूचना है ; इन में से अधिकांश निकल भागे हैं और उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

**पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त व्यक्तियों को जो सरकारी दल के सदस्यों को पकड़कर उन्हें मारने अथवा घायल करने के अपराधी हैं गिरफ्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** हम प्रत्येक सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं।

**श्री भागवत झा आजाद :** मैं जान सकता हूं कि क्या इन विपदाग्रस्त क्षेत्रों में इस प्रकार का कोई राजनीतिक संगठन है जो लोगों को मारने, आदि की उक्त घटनाओं और इन सब कार्यों के लिये उत्तरदायी है ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** इस क्षेत्र में निस्संदेह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है लेकिन उनकी अपने आदिमजाति-संस्था है।

**श्री आर० के० चौधरी :** उपर्युक्त (घ) के उत्तर से उद्भूत बात से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हाल ही में अपनाया गया प्रशासन परिवर्तन यह है कि असैनिक पदाधिकारियों को हटा कर उनके स्थान पर सैनिक पदाधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है जो सब के सब गैर आसामी हैं ; और वहां के समस्त आसामी पदाधिकारी हटा दिये गये हैं ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** उक्त प्रश्न से यह अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है ?

**श्री आर० के० चौधरी :** मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा। क्या वहां कोई शासन सम्बन्धी परिवर्तन नहीं हुआ है ? . . . .

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

**श्री आर० के० चौधरी :** मैं व्याख्या करूंगा . . . .

**अध्यक्ष महोदय :** व्याख्या आवश्यक नहीं है।

**श्री अनिल के० चन्दा :** मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न उक्त प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

**श्री आर० के० चौधरी :** यह उत्पन्न होता है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं अब इसके सम्बन्ध में किसी प्रश्न अथवा युक्ति की अनुमति नहीं दूंगा।

**छोटी कारें**

*१५८. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वे कौन से मोटर गाड़ी बनाने वाले सार्थ हैं जिन्हें छोटी कारों के निर्माण की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या उनमें से किसी ने छोटी कारों का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो किस समय तक उनके उत्पादन करने की संभावना है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) से (ग). छोटी कारों के निर्माण से सम्बंधित तीन योजनाएं सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं। उनमें से मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि० और मे० स्टैण्डर्ड मोटर प्रोडक्टस आफ इण्डिया लि० द्वारा प्रस्तुत 'मोरिस माइनर' और 'स्टैंडर्ड ८' को क्रमशः स्वीकृत किया गया मे० प्रीमीयर आटोमोबाइल्स लि० द्वारा प्रस्तुत ज़रा से बड़े नमूने अर्थात् 'फ़ायेट ११००' के निर्माण की तीसरी योजना भी इसके बाद स्वीकार की गई है। चूंकि छोटी कारों का निर्माण सर्वथा नवीन क्षेत्र है, अतः ये सार्थ पहले सी० के० डी० अवस्था में आयात किये गये सम्बद्ध पुर्जों को जोड़ने के कार्य से आरम्भ करेंगे और इसके पश्चात् आवश्यक पुर्जों के निर्माण की दिशा में प्रगति करेंगे आशा की जाती है कि उक्त सार्थों द्वारा पुर्जे जोड़ कर बनाई गई छोटी कारें इस वर्ष के मध्य तक उपलब्ध हो सकेंगी।

**श्री अनिरुद्ध सिंह :** जिन सार्थों को निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है क्या वे विशुद्ध भारतीय हैं अथवा उन में विदेशों का भाग भी है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** लेकिन श्रीमान्, ये सब समवाय भारत में रजिस्टर हो चुके हैं ?

**श्री अनिरुद्ध सिंह :** केवल भारतीय पूंजी से स्थापित ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मेरा विचार है कि उन में भारतीय पूंजी का बहुत बड़ा भाग है और वे भारतीयों के नियंत्रण में हैं ?

**श्री फीरोज़ गांधी :** क्या सरकार ने इन में से प्रत्येक श्रेणी की कार का अधिकतम मूल्य निश्चित कर दिया है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** श्रीमान्, बालक के जन्म लेने के बाद ही उसका नामकरण किया जाता है। अभी कार नहीं बनाई गई है। उस के बन जाने के बाद ही हम कीमत निश्चित करने का विचार करेंगे।

**श्री फीरोज़ गांधी :** चूंकि मंत्री महोदय बालक के जन्म लेने तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या उन्हें मालूम है कि योजनाएं स्वीकृत कर देने से बाज़ार से प्रत्येक 'बालक' अन्तर्ध्यान हो गया है ?

**एक माननीय सदस्य :** अधिक पैदा कर सकते हैं।

**सिंचाई तथा विद्युत् योजनायें**

*१५९. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राज्यों की सिंचाई तथा विद्युत् योजनाओं के लिए पृथग् निर्धारित १६ करोड़ रुपयों में से अभी तक व्यय की गई रकम कितनी है ;

(ख) इस दिशा में क्या किसी राज्य ने अपना कार्य पूरा किया है ; और

(ग) इस योजना के अधीन सम्पन्न कार्य की सहायता से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होने की आशा है ?

**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : योजना में इस तरह की कोई रकम पृथक् रक्षित नहीं की गई। १६ करोड़ रु० की रकम राज्य की सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं के उपबन्ध और पंचवर्षीय योजना में इनके लिये बनाये गये उपबन्ध और प्रारूप योजना के अन्तर को प्रकट करती है। इस वृद्धि का कारण योजना में कतिपय अतिरिक्त योजनाओं को सम्मिलित करने के परिवर्द्धित आंकड़े हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

**श्री एल० एन० मिश्र** : माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि इस प्रकार का कोई विशिष्ट उपबन्ध योजना में नहीं किया गया है। मैं जान सकता हूं कि क्या पंचवर्षीय योजना में ,२७० करोड़ रु० के सिवाय, राज्यों की सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं के लिये १६ करोड़ रु० का आवंटन नहीं किया गया है ?

**श्री हाथी** : कदाचित माननीय सदस्य योजना आयोग के एक वाक्य की ओर निर्देश कर रहे हैं। मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं। यदि पृष्ठभूमि को ध्यान में न रखा जाय तो उक्त वक्तव्य को समझने में गलती हो सकती है। प्रारूप योजना तैयार करते समय कुछ रकम केन्द्रीय योजनाओं के लिये और कुछ राज्य की योजनाओं के लिये आवंटित कर दी गई थी। राज्य की सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं के लिये कुल २७४·४५ करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया था। उस समय निश्चित आंकड़े नहीं थे। अतः बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए यह मालूम किया गया कि कुछ और रकम के उपबंध की आवश्यकता हो सकती है। उसके लिये आवश्यकता होने पर १६ करोड़ रु० की रकम अलग निर्धारित कर दी गई थी। और इसके बाद योजना के अन्तिम रूप में यह रकम वस्तुतः २७४ से २९१ करोड़ रु० अर्थात् लगभग १६ करोड़ रु० से अधिक हो गई है। उसकी वर्तमान स्थिति यही है।

**श्री एल० एन० मिश्र** : मैं जान सकता हूं कि क्या बड़ी बड़ी नदी घाटी योजनाओं के सिवाय विभिन्न राज्यों को सिंचाई कार्यों के लिये कोई आवंटन किया गया है ?

**श्री हाथी** : कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया। लेकिन ऋण मंजूर किये जा रहे हैं।

**श्री सी० भट्ट** : मैं जान सकता हूं कि क्या बम्बई राज्य में कोई योजना पूर्ण होने वाली है अथवा पूरी हो गई है ?

**श्री हाथी** : लोअर ताप्ती योजना का एक पहलू पूरा होने को है।

**श्री टी० एन० सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त छोटी छोटी योजनाओं से सम्बंधित विद्युत् योजनाएं बारहमासी नदियों से नहीं अपितु बरसाती नदियों से सम्बन्धित हैं; और इस अवस्था में क्या मैं यह जान सकता हूं कि उनसे वर्ष भर अथवा सीमित अवधि के लिये बिजली उपलब्ध हो सकेगी ?

**श्री हाथी** : कदाचित् यह बहुत ही साधारण प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य किसी एक योजना विशेष की ओर निर्देश करें तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

### निष्क्रान्त कृषि-भूमि

*१६२. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब और पेप्सू के बाहर कुल कितने एकड़ निष्क्रान्त कृषि भूमि है; और

(ख) इस भूमि को कितने पक्के एकड़ों में परिवर्तित कर दिया गया है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन):** (क) अनिष्क्रांत काश्तकारों द्वारा अधिकृत भूमि सहित निष्क्रान्त कृषि-भूमि का क्षेत्र लगभग १० से १२ लाख एकड़ है।

(ख) आवंटन के समय साधारण एकड़ों को पक्के एकड़ों में बदल दिया जाता है। निश्चित रूप से इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि यह क्षेत्र पक्के एकड़ों में कुल कितना होगा।

**श्री गिडवानी :** किन किन राज्यों में कुल कितनी निष्क्राम्य कृषि भूमि उपलब्ध है तथा प्रत्येक राज्य में कुल कितने एकड़ भूमि है ?

**श्री ए० पी० जैन :** राजस्थान में लगभग ५०,००० एकड़ भूमि, और हैदराबाद में ४०,००० से ५०,००० एकड़ के बीच भूमि उपलब्ध है। अन्य राज्यों में भी थोड़ी सी भूमि मिल सकती है।

**श्री गिडवानी :** उन हिन्दुओं और सिखों ने जो पंजाब की भूमि के निवासी नहीं थे, और जो पंजाबी नहीं थे, पश्चिमी पाकिस्तान में कुल कितनी भूमि छोड़ी ?

**श्री ए० पी० जैन :** लगभग ८ या ९ लाख पक्के एकड़।

**श्री गिडवानी :** सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रान्त, बहावलपुर और बलोचिस्तान के हिन्दू और सिखों द्वारा छोड़ी गई समस्त भूमि और पंजाब तथा पेप्सू के बाहर अन्य राज्यों में छोड़ी गई निष्क्राम्य भूमि के क्षेत्र फल के अन्तर को देखते हुए क्या सरकार उन लोगों को रुपयों के रूप में क्षतिपूर्ति देगी जिन्हें खेती के लिए जमीन नही दी जायगी।

**श्री ए० पी० जैन :** वस्तुत: इस समय हम भूमि के बदले भूमि दे रहे हैं और सरकार ने अभी क्षतिपूर्ति की नक़द अदायगी के सम्बन्ध में कोई भी निश्चय नहीं किया है।

**श्री गिडवानी :** क्या यह सच नहीं है कि सरकार द्वारा प्रकाशित अन्तर्कालीन क्षतिपूर्ति योजना सम्बन्धी पुस्तिका में यह बताया गया है कि खेती की भूमि का दावा नहीं किया जा सकेगा और उसके बदले में नक़द धन दिया जाएगा ?

**श्री ए० पी० जैन :** यह भी एक संभावना हो सकती है।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के ध्यान में इस प्रकार का कोई मामला लाया गया है कि हरिजनों के पास जो भूमि थी वह विस्थापित व्यक्तियों को देने के लिये उन से छीन ली गई, और यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री ए० पी० जैन :** यह सरासर झूठ है।

## मूंगफली

*१६३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में भारत में मूंगफली का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा कितनी मात्रा की खपत इस देश में हुई ;

(ग) मूंगफली के व्यापार में विश्व का कौनसा देश भारत का प्रतिद्वन्दी है; तथा

(घ) क्या मूंगफली की किस्म को अच्छा बनाने के लिये सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) स्पष्ट एवं विशद जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) १९५३ में १०,१५९ टन निर्यात की गई। वास्तविक खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनुमान लगाया गया था कि १९५२-५३ (जुलाई से जून तक) में उपभोग के लिये २,७८८,००० टन मूंगफली उपलब्ध हो सकेगी।

(ग) अमरीका, चीन, आंग्ल-मिश्री सूडान, फ्रांसीसी पश्चिमी अफरीका, नाइजेरिया और ब्रिटिश पूर्वी अफरीका।

(घ) जी हां, कई योजनायें चल रही हैं।

**श्री रघुनाथ सिंह :** जिन जिन देशों का आप ने नाम लिया है उन देशों में सब से अच्छी मूंगफली कहां होती है ?

**श्री करमरकर :** हमारी भी अच्छी है।

**श्री रघुनाथ सिंह :** मैं यह जानना चाहता हूं कि मूंगफली से तेल का उत्पादन हिन्दुस्तान में कितना होता है ?

**श्री करमरकर :** प्राय : बीजों को पेर के तेल निकाला जाता है। हम इस बात की आज्ञा नहीं देते कि बहुत बड़े पैमाने पर बीजों का निर्यात हो।

**श्री मुनिस्वामी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन नई योजनाओं के शुरू किये जाने से मूंगफली की किस्म में कोई प्रशंसनीय परिवर्तन हुआ ?

**श्री करमरकर :** अभी भी नई योजनायें विचाराधीन हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि अब तक हम ने मूंगफली के उत्पादन के लिये इस की किस्म में सुधार किया है।

**चित्रपट पर महात्मा गांधी की जीवनी**

*१६४. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गांधी चित्र समिति ने महात्मा गांधी की जीवनी के चलचित्र को देश भर में प्रदर्शित करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** गांधी चित्र समिति (गांधी फिल्म्ज़ कमेटी) कोई सरकारी कमेटी नहीं है बल्कि गांधी स्मारक निधि द्वारा स्थापित की गई है। माननीय सदस्य विधि से ही अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

**श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** जानकारी मिलने की आशा कब की जा सकती है ?

**अध्यक्ष महोदय :** उक्त कमेटी कोई सरकारी कमेटी नहीं है। उसे गांधी स्मारक निधि को इस बात का निर्देश करना पड़ेगा।

**श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** किन्तु, सभी कमेटियां सरकार के ही अधीन होती हैं ?

**उत्तर प्रदेश में विद्युत् शक्ति की सम्भाव्यता का सर्वेक्षण**

*१६५. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आगामी पंच वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की विद्युत-शक्ति के विकास के प्रयोजनार्थ सीधे अथवा वहां की सरकार के द्वारा वहां पर विद्युत-शक्ति की सम्भाव्यता के साधनों का सर्वेक्षण किया है ?

**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा शीघ्र ही राज्य सरकारों को अपनी सिंचाई तथा विद्युत योजना के बारे में लिखा जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में विद्युत्-शक्ति की सम्भाव्यताओं तथा आवश्यकताओं पर राज्य सरकार के सहकार में सर्वेक्षण किया जाएगा।

**श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या अभी तक राज्य सरकारों द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया है ?

**श्री हाथी :** जैसा मैं ने बतलाया, उन पर राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा रहा है ?

**मद्रास में हाथ करघा उद्योग**

*१६६. **श्री वीरस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में मद्रास राज्य को हाथकरघा उद्योग के विकास के लिए मिल कपड़ा उपकर निधि में से कितना रुपया दिया गया ; और

(ख) इस उद्योग को सहायता देने के लिए अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या विकास कार्य हाथ में लिए गये हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) अवशिष्ट मद्रास राज्य का भाग ९८,३८,६७७ रु० है ।

(ख) जिन विकास कार्यों के लिए रुपए की स्वीकृति दी गयी है उन्हें दर्शाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२]** मद्रास सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों में क्या प्रगति की है यह सूचना पूर्णतया उपलब्ध नहीं है ।

**श्री वीरस्वामी :** मद्रास की जिन ग्यारह योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा रुपए की स्वीकृति दी गयी है, उनमें से कितनी योजनाएँ कार्यान्वित हो चुकी हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** इस सम्बन्ध में अभी पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है । मुझे मद्रास सरकार से वर्षान्त तक रिपोर्ट मिलने की आशा है ।

**श्री वीरस्वामी :** क्या मैं जान सकता हूं कि उन हथकरघा बुनकरों को सहायता देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जो हथकरघा सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** इस समय तो नहीं है ।

**श्री एम० डी० रामस्वामी :** क्या मैं जान सकता हूं सरकार का इरादा मद्रास में सहकारी वस्त्र मिलें चालू करने में आंशिक पूंजी लगाने का है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** जी हां । इस उपकर द्वारा हथकरघा उद्योग के विकास की समस्त योजना बुनकरों की सहकारी समितियां बनाने में सहायता करना है जिससे कि एक बड़ी सीमा तक दलालों से छुटकारा पाया जा सकेगा ।

**हीराकुड अस्पताल**

*१६७. **डा० नटवर पाण्डे :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३–५४ में हीराकुड अस्पताल के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गयी ?

**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** ३१ दिसम्बर, १९५३ तक २,००,३६६ रु० ।

**डा० नटवर पाण्डे :** इस राशि में से, क्या मैं जान सकता हूं कि हीराकुड अस्पताल की एकमात्र ऐम्बुलेंस गाड़ी के पेट्रोल पर कितना व्यय किया गया ?

**श्री हाथी :** इसके लिए २०,००० रु० का उपबन्ध किया गया है ।

**डा० नटवर पाण्डे :** क्या मैं जान सकता हूं कि इस ऐम्बुलेंस गाड़ी की कोई दैनिन्दनी रक्खी जाती है ?

**श्री हाथी :** जी हां, रक्खी जाती है ।

**डा० नटवर पाण्डे :** क्या सरकार यह बतलाएगी कि यह गाड़ी केवल रोगियों को ही एक स्थान से दूसरें स्थान पर ले जाने में प्रयुक्त की जाती है अथवा और किसी काम में भी प्रयुक्त की जाती है ?

**श्री हाथी :** यह उसी कार्य में प्रयुक्त की जाती है जिसके लिए यह है ।

**पाकिस्तान अमरीकी सैनिक समझौता**

*१६८. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नई दिल्ली में पाकिस्तान के प्रधान प्रदेष्टा ने १९ दिसम्बर १९५३ को प्रस्तावित पाकिस्तान अमरीकी समझौते के विरुद्ध कथित कांग्रेस आन्दोलन के विरुद्ध एक विरोध-पत्र वैदेशिक कार्य मंत्रालय को दिया है ?

**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** जी हां ।

**श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या मैं जान सकता हूं कि यह सत्य है कि भारत में अमरीकी राजदूत ने अपने एक भाषण में कहा था कि भारत हिंसा में विश्वास करता है जैसा कि उसने हैदराबाद के मामले में किया और इसलिए अमरीका का पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना सर्वोचित है ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** इस मामले के सम्बन्ध में मैं एक भिन्न प्रश्न की सूचना चाहूंगा ।

**श्री गिडवानी :** उस पत्र का सरकार ने किस प्रकार का उत्तर दिया है ?

**श्री अनिल के० चन्दा :** उस उत्तर का मैं संक्षेप देने के लिए तैयार हूं । भारत सरकार के उत्तर में, जो २३ दिसम्बर, १९५३ को भेजा गया था, पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल तथा प्रधान मंत्री के आश्वासनों को माना गया था, किन्तु इसके साथ-साथ पास्किातान के प्रधान प्रदेष्टा का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया है कि वहां के प्रधान मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि अमरीका पाकिस्तान को मुफ्त सैनिक सहायता देने का विचार कर रहा है, और कहा है कि इस बात का विशेषकर भारत तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों, तथा सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव से भारत चिंतित है ।

**श्री दामोदर मैनन :** अभी-अभी पढ़े गये पत्र में पाकिस्तान प्रधान प्रदेष्टा की पुष्टि मांगी गयी है । क्या सरकार को वहां से यह पुष्टि प्राप्त हुई ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** मैं समझता हूं कि वह प्रश्न को ठीक प्रकार से नहीं समझे हैं । मैं खुद भी इसे नहीं समझ सका ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है ।

**श्री आर० के० चौधरी :** मैं आपके यह कहने का अभिप्राय, कि आप मुझे बाद में प्रश्न करने देंगे, स्पष्ट रूप में जानना चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** वह उस प्रश्न को पृथक सूचना देकर प्रस्तुत कर सकते हैं ।

**श्री आर० के० चौधरी :** मैं इस संबंध में पथ प्रदर्शन चाहता हूं । वह प्रश्न असंगत कैसे था तथा वह अस्वीकृत क्यों किया गया ? यह विषय का एक अंग है ।

**अध्यक्ष महोदय :** चाहे यह कुछ भी है, वह मुझे पत्र लिख सकते हैं ।

**श्री आर० के० चौधरी :** पत्र लिखना कठिन है—मेरे पास टाइप की मशीन नहीं है ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### कादियां में अहमदिया सम्मेलन

*१३३. **सरदार हुक्म सिंह:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १९५३ में कादियां में ६२ वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिये पाकिस्तान से अहमदियों का एक दल आया था ?

(ख) वे भारत में कितने समय तक रहे ?

**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा):** (क) हां ।

(ख) चार दिन ।

### निष्क्रान्त सम्पत्ति

*१५५ **श्री बी० के० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले उत्प्रवासी पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी हुई अपनी सम्पत्तियों पर ८ अप्रैल १९५० के दिल्ली समझौते के अन्तर्गत कितना स्वामित्व अधिकार रख सके हैं ;

(ख) क्या वे अपनी सम्पत्तियों की आय का किसी प्रतिबंध के बिना उपभोग कर सके हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो वे ऐसा किन कारणों से नहीं कर सके हैं ;

(घ) क्या पूर्वी पाकिस्तान में दिल्ली समझौते के खण्ड ख(६) के अन्तर्गत कोई विश्वस्त सम्मितियां काम कर रही हैं ; तथा

(ङ) यदि हां, तो समिति ने कितनी सम्पत्तियों का भार अपने ऊपर ले लिया है?

**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** (क) से (ङ) तक । सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रखी जायेगी ।

### फाउन्टेन पैन की स्याही

*१५६. **श्री बाल्मीकि :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फाऊन्टन पैन की स्याही की आवश्यकता के संबंध में देश को आत्मनिर्भर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; तथा

(ख) १९५१–५२, १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में किन किन देशों से फाऊन्टेन-पैन की स्याही का आयात किया गया था ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) फाऊन्टैन पैन की स्याही बनाने के लिये देश में पर्याप्त क्षमता है ।

(ख) १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में फाऊन्टेन पैन की स्याही यू० के० से मंगाई गई थी तथा १९५३–५४ (अप्रैल से दिसम्बर १९५३ तक) में यू० के० के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया तथा डेनमार्क से भी कुछ आयात किया गया था ।

### आल इंडिया रेडियो

*१६१. **डा० सत्यवादी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आल इंडिया रेडियो पर मनाई जाने वाली जयन्तियों की सूची तैयार हो चुकी है; तथा

(ख) यदि हां तो क्या उसकी एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) तथा (ख) । सूची अभी तैयार नहीं हुई है ।

**इस्पात संयत्र**

*१६९. **श्री बंसल :**
**श्री झूलन सिन्हा :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**डा० राम सुभग सिंह :**
**श्री के० पी० सिन्हा :**
**श्री बी० सी० दास :**
**श्री एम० एल० द्विवेदी :**
**पंडित डी०एन० तिवारी :**
**श्री एल० एन० मिश्र :**

क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जर्मनी के विशेषज्ञ दल ने, जिसे एक नये इस्पात संयत्र को लगाने के लिये स्थान के संबंध में प्रतिवेदन देना था, इस संबंध में कोई सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं; तथा

(ग) इस मामले में सरकार का अन्तिम निश्चय क्या है ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) से(ग) तक। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस वक्तव्य की ओर आकर्षित करता हूं जो मैं ने १६ फरवरी १९५४ को इस विषय पर दिया था।

**आस्ट्रेलिया से व्यापार**

*१७०. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत आजकल आस्ट्रेलिया से किन्हीं व्यापारिक वस्तुओं का आयात करता है ;

(ख) यदि हां तो, वे वस्तुयें क्या हैं ;

(ग) क्या भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच कोई व्यापार समझौता है; तथा

(घ) क्या आस्ट्रेलिया सरकार मद्रास में अपने व्यापार आयुक्त का कार्यालय स्थापित करने का विचार कर रही है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) हां श्रीमान्।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३।]

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

**पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के बीच जनता का आवागमन**

*१७१. **श्री एस० एन० दास :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के बीच जनता के आवागमन के जाति अनुसार आंकड़े क्या थे ?

**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** १९५३ में पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के बीच, पश्चिमी बंगाल में स्थित विभिन्न सीमा चौकियों से होकर हुये, आवागमन के आंकड़े निम्न हैं :—

| | हिन्दू | मुसलमान | अन्य |
|---|---|---|---|
| पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल | ५,४०,१०७ | २,४६,३२० | ९,७८९ |
| पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल | ५,२८,४६९ | २,४५,३३२ | १०,१३४ |

इन आंकड़ों में यात्रियों का सामान्य आवागमन भी सम्मिलित है।

**व्यापारिक विस्फोटक**

*१७२. **श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में उच्च श्रेणी के व्यापारिक विस्फोटकों का प्रति वर्ष कितना उपभोग होता है तथा आजकल आवश्यकता को कैसे पूर्ण किया जाता है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** वार्षिक उपभोग का अनुमान लगभग ५,००० टन का लगाया जाता है जिसकी पूर्ति पूर्णतया आयात से की जाती है ।

**कोयना परियोजना**

*१७३. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयना परियोजना से विद्युत कब प्राप्त होने लगेगी ?

**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** बम्बई सरकार द्वारा दिये गये विवरणों के अनुसार १९५९–६० तक विद्युत् प्राप्त होने लगेगी ।

**संरक्षित उद्योग**

*१७४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि संरक्षित उद्योगों ने प्रशुल्क आयोग को अभ्यावेदन भेजे हैं कि आयात नीति अधिक उदार बना दी जाने के कारण उन्हें जो संरक्षण प्राप्त था उसका प्रभाव क्षीण अथवा नष्ट प्राय बन गया है तथा क्या उन्होंने इस स्थिति के पुनरीक्षण की मांग की है ; तथा

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योग कौन कौन से हैं तथा उनकी शिकायतों के कारणों की जांच कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) तथा (ख) १९५२ से निम्नलिखित तीन उद्योगों ने सरकार तथा प्रशुल्क आयोग को एक साथ अभ्यावेदन भेजे हैं; अर्थात् सोडा भस्म, पेन्सिलें तथा बिजली के पीतल के लैंप होल्डर्स तैयार करने वाले उद्योग । इन की शिकायतों की जांच की गई थी और उन पर की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या, ३४**] ।

**रूई**

*१७४. **श्री एस० सी सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय मिलों में १९५२-५३ तथा १९५१-५२ में उपयोग में लायी गयी भारतीय रुई की मात्रा ;

(ख) १९५३-५४ की अपेक्षित खपत ;

(ग) उपर्युक्त वर्षों में विदेशी रुई की आयात में कितनी कमी हुई ;

(घ) क्या इन वर्षों में उच्च प्रकार की भारतीय रुई उपलब्ध थी ;

(ङ) यदि हां, तो कितनी (वर्ष वार आंकड़े दिये जाय) ; तथा

(च) इन्हीं वर्षों में निर्यात की गई बंगाल देशी रूई की मात्राएं तथा उन देशों के नाम जहां यह भेजी गई ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) से (च) । ए विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५]

**रूस को चाय का निर्यात**

*१७६. **श्री एन० एम० लिंगम :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री गत वर्ष रूस को निर्यात की गई चाय की मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) अन्य देशों की अपेक्षा रूस में भारतीय चाय के मूल्य की स्थिति कैसी है ?

(ग) भारत रूसी व्यापार समझौते के अधीन १९५३–५४ में रूस को कितनी चाय निर्यात किये जाने का अनुमान है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) १९५३ में रूस को कोई भारतीय चाय निर्यात नहीं की गई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) २ दिसंबर १९५३ को रूस तथा भारत के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है उसके अन्तर्गत किन्हीं वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के बारे में राशियां निश्चित नहीं की गईं थीं। अत: १९५३–५४ में रूस को निर्यात किये जाने वाली चाय की अनुमानित राशि बताना असंम्भव है।

**पंजाब में सामूहिक परियोजनाएं**

*१७७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब में सामूहिक विकास परियोजनाओं पर चालू वर्ष में किय जाने वाला कुल अनुमानित व्यय ; तथा

(ख) (१) सामूहिक परियोजना प्रशासन तथा (२) राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला अंशदान ?

**विद्युत् तथा सिंचाई उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) ७०·३९ लाख रुपये ।

(ख) अंशदान इस प्रकार होंगे :

| | |
|---|---|
| केन्द्रीय सरकार | ५६·४५ लाख रु० |
| पंजाब सरकार | १३·९४ लाख रु० |

**वाणिज्यिक सूचना विभाग**

*१७८. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वाणिज्यिक सूचना विभाग को १९५२-५३ में प्राप्त (१) भारतीय निर्यातकों से विदेशी सार्थों के विरुद्ध तथा (२) विदेशी सार्थों से भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध शिकायतों की कुल संख्या ;

(ख) कितने मामलों में उनका हस्तक्षेप सफल रहा ; तथा

(ग) प्रत्येक मामले में अन्तर्गस्त राशि ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री रकमरकर) :** (क) डी० जी० सी० आय० एण्ड एस० कलकत्ता को भारतीय निर्यातकों से विदेशी सार्थों के विरुद्ध ३० तथा विदेशी सार्थों से भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध १९५ शिकायतें प्राप्त हुई ।

(ख) ४८ ।

(ग) जानकारी संकलित की जा रही है और सदन पटल पर रखी जाएगी ।

**व्यापारिक समझौते**

*१७९. **श्री बाल्मीकि :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३–५४ में किन किन देशों से व्यापारिक समझौते किये गये ?

(ख) किन किन देशों को भारत के कुटीर उद्योगों की वस्तुएं अधिक मात्रा में भेजी गई ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख)। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६]** :

**उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी के पोलिटिकल तथा सहायक पोलीटिकल अफसर**

***१८०. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** २३ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६४८ के दिये गये उत्तरों की ओर निर्देश करेंगे तथा यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के पोलीटिकल तथा सहायक पोलीटिकल अफसरों के पदों के लिये चुने गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) ऐसे पुराने पोलीटिकल तथा सहायक पौलीटिकल अफ़सरों के लिये जो अन्तिम चनाव में लिये नहीं गये थे कौन से वैकल्पिक पदों का उपबंध किया गया है ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री जे० एन० हजारिका)** : (क) उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के पोलीटिकल अफ़सरों के पद के लिये ७ व्यक्ति तथा सहायक पोलीटिकल अफ़सरों के पद के लिये १६ व्यक्ति चुने गये हैं।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

**टीन की चादरें**

***१८१. श्री अनिरूद्ध सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश के कितने कारख़ाने टीन की चादरें बनाते हैं ?

(ख) उन में से कितने विदेशी हैं तथा कितने देशी ?

(ग) प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

(घ) नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कोटे किस प्रकार बांटे जाते हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) केवल एक ।

(ख) वह भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ।

(ग) ६६,००० टन प्रति वर्ष ।

(घ) प्रत्येक तिमाही में जितने संभरण के उपलब्ध होने की आशा की जाती है, उसक नियतन टीन की चादरों का काम करने वालों में सरकारी जांच के अनुसार, उनकी क्षमता तथा मांगों को दृष्टिगत रखते हुये किया जाता है ।

**पक्के एकड़ का मूल्य**

***१८२. श्री गिडवानी** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रदेश बहावलपुर तथा बलोचिस्तान में छूट गई विस्थापित जमीदारों की कृष्य भूमि, के पक्के एकड़ का मूल्य निर्धारित कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) तथा (ख) यह मामला बख्शी टेकचंद के सभापतित्व में नियुक्त की गई मंत्रणा-समिति के पास भेज दिया गया है तथा समिति का परामर्श प्राप्त होने पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

**मिट्टी तथा गाद गवेषणा प्रयोगशाला होराकुड**

*१८३. **डा० नटवर पाण्डे :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुड के मिट्टी तथा गाद गवेषणा प्रयोगशाला के दूसरे तथा तीसरे दर्जे के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) प्रयोगशाला में भर्ती होने के लिये किसी उम्मेदवार की न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिये ;

(ग) प्रत्येक ग्रेड में आरंभ में दिया जाने वाला आधार भूत वेतन कितना है ; और

(घ) इस समय कितने रिक्त स्थानों की पूर्ति की जानी है ?

**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) दूसरे दर्जे के २
तीसरे दर्जे के ७७

(ख) से (घ). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७**]

**कपड़े का नियंत्रण**

*१८४. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी राज्य में अब भी कपड़े पर नियंत्रण जारी है ?

(ख) यदि हां, तो किस हद तक और किस या किन राज्यों में ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) तथा (ख). १० जुलाई १९५३ से कपड़े के मूल्य और वितरण पर से नियंत्रण हटा दिया गया था । बम्बई और अहमदाबाद के उत्पादन केन्द्रों से कपड़े के लाने ले जाने पर और कुछ हद तक उत्पादन पर केन्द्रीय सरकार ने नियंत्रण रखा हुआ है । किन्तु राज्य सरकारों ने अत्यावश्यक प्रदाय (अस्थायी शक्ति) अधिनियम, १९४६ के अधीन दी गई शक्तियों के अधीन अपने अपने राज्यों में व्यापारियों को अनुज्ञप्ति देने पर नियंत्रण रखा हुआ है ।

**हथकरघा उद्योग**

*१८५. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये जिस अन्तःकालीन विक्रय योजना का प्रस्ताव किया है क्या उसे क्रियान्वित किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इस से देश में हथकरघा उद्योग के विक्रय को बढ़ाने में कहां तक सहायता मिली है ?

(ग) १९५२ की तुलना में १९५३ में देश में हाथकरघे के कपड़े के भण्डार की स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) मद्रास में केन्द्रीय विक्रय संगठन और मद्रास, बम्बई तथा बनारस में प्रादेशिक कार्यालय खोले गये हैं । नागपुर, ग्वालियर और कलकत्ते में शीघ्र ही तीन और प्रादेशिक कार्यालयों के खोले जाने की आशा है ।

(ख) तथा (ग) । आन्तरिक विक्रय योजना के परिणाम को आंकने का अभी समय नहीं आया है । राज्य सरकारों ने जितना सूत उठाया है उस के सम्बन्ध में जो सूचनायें मिली हैं उन से यह प्रतीत

होता है कि देश में हथकरघे के कपड़े के जमा भण्डार की स्थिति १९५२ की अपेक्षा सुधर गई है।

**हीरा कुड और भाखड़ा नागल**

*१८६. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास हीराकुड और भाखड़ा नंगल के विद्युत संयंत्रों से पैदा की गई बिजली को प्रयोग करने के लिये कोई ठोस योजनायें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये योजनायें क्या हैं ?

**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८]**

**नमक उपकर**

*१८७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि क्षार उद्योग नमक पर उपकर देने से छूट मांग रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निश्चय किया है ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रैड्डी)** (क) जी हां।

(ख) सरकार का यह निश्चय है कि इस समय क्षार उद्योगों को उपकर से छूट देने की आवश्यकता नहीं है। इस उद्योग की स्थिति पर जो कि एक संरक्षित उद्योग है प्रशुल्क आयोग द्वारा यथासमय फिर विचार किया जायेगा और सरकार उपयुक्त क्रम पर इस सम्बन्ध में नमक उपकर से छूट के प्रश्न पर पुनः विचार करेगी।

**राजाओं की निजी थैलियां**

*१८८ **श्री एन० एम० लिंगम :**
**श्री गिडवानी :**
**श्री अचल सिंह :**
**श्री बाल्मीकि :**

क्या **प्रधान मंत्री** २७ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५१ के उत्तरों को निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा सब राजाओं को उन की अपनी निजी थैलियों में स्वच्छा से कटौती करने के लिये जो पत्र भेजा गया था क्या सब राजाओं से उस के उत्तर प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये उत्तर किस प्रकार के हैं ; और

(ग) सरकार का इस विषय में आगे और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) से (ग) तक। यद्यपि अभी उन सब राजाओं के उत्तर तो नहीं प्राप्त हुए हैं जिन्हें कि पत्र भेजे गये थे, किन्तु कुछ और उत्तर अवश्य प्राप्त हुए हैं। ये उत्तर किस प्रकार के हैं यह बताना ठीक नहीं समझा गया और अभी यह बताने का समय नहीं आ आया है कि इस विषय में आगे और क्या कार्यवाही की जायेगी।

**सामुदायिक परियोजनायें**

*१८९. **श्री रिशांग किशिंग :**
**श्री एल० एन० मिश्र :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सारे भारत में आज तक सामुदायिक परियोजनाओं के लिये कितनी धन राशि अलग रखी गई है और व्यय की गई है ;

(ख) अब तक सारे भारत में कितनी सामुदायिक परियोजनायें और विकास खण्ड आरम्भ किये गये ह ; और

(ग) सामुदायिक परियोजनाऐं और विकास खण्डों में योजना के कार्यक्रम के अनुसार कहां तक प्रगति हुई हैं ?

**सिचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ४१.७१ करोड़ रुपये और १०६ लाख डालर अलग रखे गये हैं। ३० सितम्बर, १९५३ तक १९१.९७ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं, उपकरणों की लागत इस के अतिरिक्त है।

(ख) १९५२-५३ में ५५ सामुदायिक परियोजनायें और १९५३-५४ में ५३ सामुदायिक परियोजनायें तथा विकास खण्ड।

(ग) सामान्यतया आशा के अनुसार ही प्रगति हुई है। एक विवरण जिसमें ३० सितम्बर, १९५३ तक की गई प्रगति दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९]**

**विस्थापित-व्यक्तियों का पुनर्वास**

१६. **डा० सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७ से ले कर १९५३ तक विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ख) हरिजन विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय हुई धन राशि कितनी है ?

**पुनर्वास उप मंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) केन्द्रीय सरकार १९५२–५३ के अन्त तक पुनर्वास पर कुल ११२.५९ करोड़ रुपये और सहायता पर ६१.२५ करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है।

(ख) क्योंकि अनुसूचित जातियों के विस्थापित व्यक्तियों तथा अन्य विस्थापित व्यक्तियों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता, अतः अनुसूचित जातियों के विस्थापित व्यक्तियों पर किये गये व्यय के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

**संगमरमर (आयात)**

१७. **सेठ गर्लविद दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ के अन्त तक पिछले पांच वर्षों में विदेशों से कितना संगमरमर आयात किया गया तथा उसका मूल्य कितना था ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०)**.

**सरकारी कर्मचारियों के निजी मकान**

१८. **श्री केशवैयंगार** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में कितने सरकारी अफसर ऐसे हैं जिनके अपने निजी मकान हैं और फिर भी वे सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं ?

**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : २९।

**चाय संवर्धन परिषद्**

१९. **श्री एम० एन० लिंगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोई भारत-लंका चाय संवर्धन परिषद् बनाई गई है; और

(ख) करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) तथा (ख). सन् १९५३ में श्री लंका, इंडोनीसिया तथा संयुक्त राज्य अमरीका के चाय व्यापारियों

के सहयोग से अमरीका में एक संयुक्त चाय संवर्धन परिषद् बनाई गई है। चाय परिषद् के कार्यों की वित्तीय व्यवस्था के लिये इन पक्षों के निम्न चंदे दिये हैं :

| | |
|---|---|
| भारत | ४,७५,००० डालर |
| श्री लंका | ३,७५,००० डालर |
| इंडोनीसिया | ५५,००० डालर |
| संयुक्त राज्य अमरीका के चाय व्यापारी | ५,७०,००० डालर |

कनाडा में भी ऐसी ही एक परिषद् बनाने के लिये प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है

अन्य देशों में ऐसी ही परिषदें स्थापित करने के प्रश्न पर अभी श्री लंका के साथ बात चीत चल रही है।

**कोयला**

२०. **श्री पी० सी० बोस :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ और १९५३ में बंगाल तथा बिहार के कोयला-क्षेत्रों से कुल कितने कोयले की निकासी हुई ; और

(ख) इन वर्षों में इन दो राज्यों में कोयला-खानों में कितना कोयला स्टाक में था ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) १९५२ में २,४६,६१,५३८ टन।

१९५३ में २,४५,८७,५४० टन

(ख) ३१-१२-५२ को २४,५९,३९२ टन।

३१-१२-५३ को २८,२१,९४० टन।

**पश्चिमी पाकिस्तान से आए मुसलमान**

२१. **श्री बाल्मीकि :** क्या **पूनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२, १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में पश्चिमी पाकिस्तान से कितने मुसलमान भारत आए ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों ने भारत में स्थायी रूप से बसनेके लिये प्रार्थना पत्र दिए ;

(ग) भारत से कितने मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान गए ; तथा

(घ) कितने व्यक्ति उस देश में स्थायी रूप से बस गए ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) :** (क) से (घ) तक. जानकारी सुलभ नहीं है और उसके संकलित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

सत्यमेव जयते

शुक्रवार,
१९ फरवरी, १९५४

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

छठा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.12
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

# लोक सभा

शुक्रवार, १९ फरवरी, १९५४

---

सभा दो बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

३-१ प० म०

## श्री पाल जुझार सोरेन का देहान्त

**अध्यक्ष महोदय** : मैं दुःख के साथ सदन को श्री पाल जुझार सोरेन के, जो कि अब तक इस सदन के सदस्य थे, ६१ वर्ष की आयु में देहान्त की सूचना देता हूं । श्री सोरेन के देहान्त से जो हानि हुई है उस का हमें शोक है और मुझे पूरा निश्चय है कि उन के परिवार के साथ समवेदना प्रकट करने में सदन मेरे साथ सम्मिलित होगा । सदन एक मिनट के लिए मौन खड़ा हो जाए ।





**सदन एक मिनट तक मौन खड़ा रहा ।**

**अध्यक्ष महोदय** : इस सदन की पुरानी प्रथा के अनुसार माननीय रेल मंत्री के अपना आय-व्ययक प्रस्तुत कर चुकने के पश्चात् सदन की बैठक स्थगित की जा सकती है जिससे कि सदस्यगण अन्त्येष्टि क्रिया में भाग ले सकें । मुझे ज्ञात हुआ है कि उन की अन्त्येष्टि क्रिया सायंकाल लगभग ५ बजे होगी और प्रार्थना ४-३० प० म० बजे होगी ।

**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, आप की अनुमति से मैं उस दल की ओर से भी श्री सोरेन के प्रति समवेदना प्रकट करता हूं जिसके कि वे इस सदन में एक सदस्य थे । स्वर्गीय श्री पाल सोरेन एक सन्थाल ईसाई थे । वे एक शिक्षा शास्त्री थे । और उन्होंने अपना अधिक समय सन्थालों की उन्नति में ही लगाया है । उन्होंने सन्थाली साहित्य और सन्थाली शिक्षा की उन्नति के लिए बहुत कार्य किया है । और अपनी सादगी तथा नम्रता के कारण वे हम सब के प्रिय बन गए थे । मेरी आप से यह प्रार्थना है कि आप स्वतन्त्र दल की ओर से भी मृतक के परिवार के पास हार्दिक समवेदना का सन्देश भेज दें ।

**अध्यक्ष महोदय** : "सदन" में यह दल भी सम्मिलित है ।

## याचिकायें

**(१) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक विधेयक**

**(२) विस्थापित व्यक्तियों में कृषि सम्बन्धी निष्क्रांत सम्पत्ति का उचित वितरण ।**

**सचिव :** श्रीमान, लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्यवाही संचालन के नियमों के नियम १७८ के अधीन मुझे यह सूचना देनी है कि निम्नलिखित के सम्बन्ध में दो याचिकायें, जोकि पटल पर रखे गये विवरण में दी हुई हैं, प्राप्त हुई हैं :—

(१) विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई नगरीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में दावों की व्यवस्था का विधेयक जिसे श्री अजित प्रसाद जैन ने २३ दिसम्बर, १९५३ को सदन में पुरःस्थापित किया था; और

(२) विस्थापित व्यक्तियों में कृषि सम्बन्धी निष्क्रांत सम्पत्ति का उचित वितरण ।

---

**विवरण**

निम्नलिखित के सम्बन्ध में याचिकायें :—

(१) विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई नगरीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में दावों की व्यवस्था का विधेयक जिसे श्री अजित प्रसाद जैन ने २३ दिसम्बर, १९५३ को सदन में पुरःस्थापित किया था; और

(२) विस्थापित व्यक्तियों में कृषि सम्बन्धी निष्क्रांत सम्पत्ति का उचित वितरण ।

| हस्ताक्षरकर्त्ताओं की संख्या | जिला या नगर | राज्य |
|---|---|---|
| (१) एक | नई दिल्ली | दिल्ली |
| (२) एक | इन्द्रनगर, आजादपुर | दिल्ली |

## सदन पटल पर रखे गये पत्र

**आश्वासनों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को दिखाने वाले विवरण**

**संसद्कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) :** मैं विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाले निम्नलिखित विवरण सदन पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ५ — लोक सभा का चतुर्थ सत्र, १९५३
(२) अनुपूरक विवरण संख्या १० — लोक सभा का तृतीय सत्र, १९५३
(३) अनुपूरक विवरण संख्या ११ — लोक सभा का द्वितीय सत्र, १९५२
(४) अनुपूरक विवरण संख्या ११ — लोक सभा का प्रथम सत्र, १९५२
(५) अनुपूरक विवरण संख्या ९ — अस्थायी संसद् का चतुर्थ सत्र, १९५१
(६) अनुपूरक विवरण संख्या ९ — अस्थायी संसद् का तृतीय सत्र, (भाग १) १९५०

## १९५३-५४ के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में विवरण

**वित मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** मैं १९५३-५४ के लिए केन्द्रीय सरकार के (रेलवे के अतिरिक्त) व्यय के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों को बताने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं। **[पुस्तकालय में रखा। देखिए संख्या ४ ओ० आई० (७२ ई०)]**

---

## १९५३-५४-(पेप्सू) के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में विवरण

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** मैं १९५३-५४ के लिए पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ के व्यय के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों को बताने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या ४ ओ० आई० (७९ ई०)]**

---

## रेलवे बजट

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में भारतीय रेलवे के १९५४-५५ का बजट पेश कर रहा हूं।

२: सबसे पहले मैं भारतीय रेलों की माली हालत बतलाऊंगा जैसा कि १९५२-५३ के मुकम्मिल लेखे से ज़ाहिर है। १९५२-५३ में यातायात की असल आमदनी और साधारण संचालन-व्यय क्रमशः २७०·५६ करोड़ और १८७·९६ करोड़ रुपये थे, जबकि संशोधित तखमीनें में इन मदों में क्रमशः २६९·५५ और १८८·८५ करोड़ रुपय रखे गये थे। अवक्षयण रक्षित निधि (Depreciation Reserve Fund) में रखी गयी रकम, फुटकर खर्च और केन्द्रीय सरकार को जो रकम दी गयी उसे निकाल कर वास्तविक बचत १३·१९ करोड़ रुपये हुई जबकि संशोधित तखमीना ९·४८ करोड़ रुपये था। इस बचत में से १२·०० करोड़ रुपये रेलवे विकास-कोष में और शेष १·१९ करोड़ राजस्व रक्षित निधि (Revenue Reserve Fund) में डाल दिये गये।

अब मैं चालू वर्ष के संशोधित तखमीनों के सम्बन्ध में कहूंगा। कुल आमदनी २७२·०० करोड़ रुपये होती है जबकि बजट के तखमीने में यह रकम २७२·२८ करोड़ रुपये रखी गयी थी। २८ लाख रुपये की इस थोड़ी सी कमी का कारण यह नहीं है कि यात्री-यातायाय या माल-यातायात से आमदनी के अनुमानित रुख में कोई तबदीली हुई है जिसकी पिछले बजट में कल्पना की गयी थी। यह कमी सिर्फ तखमीने लगाने के ढंग में तबदीली की वजह से हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

संचालन-व्यय का पहला तखमीना १९०·९९ करोड़ रुपये का था। लेकिन इस में ६·६४ करोड़ रुपये बढ़ जाने की संभावना है। इसलिए यह तख़मीना अब १९७·६३ करोड़ रुपये हो जायगा। खर्च में यह बढ़ती विशेषकर गाडगिल कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने की वजह से है जिसमें कर्मचारियों को दी जाने वाली मंहगाई का ५० प्रतिशत वेतन में मिला दिया गया है। इसका दूसरा कारण यह है कि इस साल दक्षिण, मध्य और पश्चिम रेलों को कुछ अधिक कोयला समुद्री रास्ते से भेजा गया ताकि कारोबार और बाहर की दूसरी आवश्यकताओं के लिए अधिक कोयला और दूसरी चीजें रेल से भेजी जा सकें। पहले मद में ३·१५ करोड़ रुपये और दूसरे म

[श्री एल० बी० शास्त्री]

१·३९ करोड़ रुपये अधिक खर्च हुये हैं। बाकी खर्च इसलिए है कि बाढ़ से बचाव के लिए सुरक्षा के काम, कुम्भ मला के लिए नये अस्थायी काम और इन्जिन, डिब्बे, मशीन और बिजली के कामों पर अधिक रुपया लगाना पड़ा। इस वजह से चालू वर्ष में बचत अब ३·१८ करोड़ रुपये होगी जबकि बजट में ९·३१ करोड़ रुपये का तखमीना रखा गया था।

अब मैं १९५४-५५ के बजट के तखमीने के बारे में कहूंगा। इन तखमीनों के बनाने में हमें उन वित्तीय और लेखा-सम्बन्धी तब्दीलियों का ध्यान रखना पड़ा है जो पहली अप्रैल १९५४ से रेलों पर जारी की जायेंगी। माननीय सदस्यों को याद होगा कि रेलों के पुनर्विभाजन के बाद विभिन्न रेलों और विभागों के बीच बहुत से लेखा-सम्बन्धी समायोजन बन्द कर दिय। पिछले रेलवे बजट पर बहस के दौरान में कई माननीय सदस्यों ने इन तब्दीलियों से होने वाले असर पर चिन्ता भी प्रकट की और कहा था कि पहले की तरह रेलों की आमदनी और खर्च को अलग ही रहने दिया जाय। आडिटर जनरल की सलाह से यह तय किया गया है कि पहला तरीका, जिस से हर एक रेल की आर्थिक और संचालन स्थिति का पता लगाया जाता था, कुछ हेर फेर के साथ फिर से अमल में लाया जाय। भविष्य में हर रेलवे प्रशासन अपनी आर्थिक और संचालन स्थिति का एक दूसरे के मुकाबिले में अनुमान लगा सकेगा। १९५४-५५ का बजट तखमीना इन तब्दीलियों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है।

१९५४-५५ में यात्री-यातायात की आमदनी का तखमीना १०१·५१ करो रुपये रखा गया है, जो कि संशोधित तखमीने से कुछ अधिक और इस साल के प्रारम्भिक तखमीने से कुछ कम है। कुम्भ मेले से हुई आमदनी अगले साल नहीं होगी, इसलिए यात्री-यातायात की आमदनी के तखमीने को कुछ कम करना पड़ा। फिर भी १–१–५४ से वारसी लाइट रेलवे को ले लेने और इस साल अच्छी बारिश और अच्छी फसल के कारण यात्री-यातायात की आमदनी बढ़ जाने की संभावना है।

उद्योग धंधों में तरक्की के कारण हमें माल-यातायात में अधिक आमदनी की आशा है। १९५३ के पहले ९ महीनों के औसत उत्पादन का आंकड़ा १३३·८ रहा जो १९५२ के इसी समय के आंकड़े से ५·४ प्रतिशत अधिक है। खेती की उपज का अनुमान भी अच्छा है। चालू वर्ष के पहले ६ महीनों में जितने टन माल बड़ी लाइन और मीटर लाइन से ढोया गया, वह १९५२-५३ के पहले ६ महीनों से कुछ अधिक रहा। इसलिए, हमने माल-यातायात की आमदनी का तखमीना १९५३-५४ के संशोधित तखमीने से १ प्रतिशत अधिक, यानी १४८·६ करोड़ रुपये रखा है।

कुल आमदनी का तखमीना इस तरह २७३·२५ करोड़ रुपये रखा गया है जो १९५३-५४ के संशोधित तखमीने में २७२ करोड़ रुपये है।

१९५४-५५ में सामान्य व्यय के लिए बजट में १९४·३१ करोड़ रुपये रखे गये हैं, जो चालू वर्ष के संशोधित तखमीने से ३·३२ करोड़ रुपये कम ह। खर्च में कमी के कारण ये हैं––निर्माण-कार्यों के स्टोर पर हमें भाड़ा मिलेगा, मरम्मत और

देख-भाल पर कम खर्च होगा और अगले साल कुम्भ मेला और समुद्री रास्ते से कोयला भेजने की व्यवस्था आदि जैसे खास मदों के लिए खर्च नहीं करना होगा। दूसरी और छोटी-मोटी मदों के कारण भी खर्च में बचत होगी। लेकिन यह थोड़ी सी बचत कर्मचारियों के वेतन में हर साल होने वाली १ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी में खप जायगी।

अवक्षयण रक्षित निधि (Depreciation Reserve Fund) में इस साल भी चालू वर्ष के समान ३० करोड़ रुपये की रकम रखी जायगी। वास्तविक विधि व्यय के लिए ८·०८ करोड़ रुपये निकाल कर और ३५·५० करोड़ रुपये लाभांश के रूप में केन्द्रीय सरकार को देकर, १९५४-५५ में ५·१४ करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है।

माननीय सदस्यों को मालुम है कि रेलवे संचालन व्यय में लगातार बढ़ती और बचत में लगातार कमी हो रही है। १९५२-५३ में, यात्री-यातायात में एकाएक जो कमी हुई थी वह अब रुक गयी है। इधर इसमें मामूली सुधार हो रहा है, फिर भी मौजूदा हालत में जल्द किसी बढ़ोत्तरी की आशा नहीं पायी जाती। साथ ही संचालन-व्यय कुछ ऐसे कारणों से बढ़ गया है जिन पर हमारा प्रायः कोई वश नहीं है। १९५४-५५ के बजट तखमीने के आधार पर संचालन व्यय में १९४८-४९ के मुकाबिले ५० करोड़ रुपये अधिक बढ़ गये हैं। रियासती रेलों के लेने में जो १० करोड़ रुपये का खर्च बढ़ा है, उसे छोड़कर अधिकांश बढ़ोत्तरी कर्मचारियों के हित के लिए बनाये गये उदार नियमों के कारण है। कोयले पर लगभग ७ करोड़ रुपये का खर्च बढ़ गया है जिसका कारण यह है कि यातायात की मांग को पूरा करने के लिए अधिक गाड़ियां चलानी पड़ीं।

अब मैं निर्माण, मशीन, डिब्बे, इंजिन आदि के तखमीने के बारे में कहूंगा। चालू वर्ष के लिए ७९·६१ करोड़ रुपये के स्थान पर संशोधित तखमीने में ७७·८८ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इस तरह इस मद में १·७३ करोड़ रुपये की कमी की गयी है। बजट में रखे गये तखमीने के बारे में कुछ कहने से पहले मैं प्रथम पंच-वर्षीय योजना की प्रगति को संक्षेप में बतलाऊंगा। पहले दो सालों में यानी १९५१-५२ और १९५२-५३ में, रेलों ने १३१·०४ करोड़ रुपये खर्च किये और चालू वर्ष में ७७·८८ करोड़ रुपये की लागत की सम्भावना है। इस तरह योजना में रेलों के लिए निर्धारित ४०० करोड़ में से १९१·०८ करोड़ रह जाता है। योजना के बाकी दो साल में निर्माण-कार्य इंजिन और डिब्बों आदि की अधिक खरीदारी के लिये बजट में ज्यादा रकम रखी गयी है जिससे योजना में निर्धारित लक्ष्य को हम पूरा कर सकें। माननीय सदस्य बजट के कागजों में एक पुस्तिका पायेंगे जिसमें योजना के पहले दो साल में किये गये विकास-सम्बन्धी कार्यों का ब्यौरा है और उन दूसरे कामों की ओर भी संकेत है जिन्हें योजना के शेष भाग में करने का विचार है।

चालू वर्ष के बजट में जिन योजनाओं की व्यवस्था की गयी थी सदन उनकी प्रगति के बारे में कुछ जानना चाहेगा। चालू वर्ष में पांच नयी लाइनों पर काम शुरू करने की बात में से चम्पा-कोरबा लाइन पर

[श्री एल० बी० शास्त्री]

प्रगति संतोषजनक रही है । गांधीधाम कांडला लाइन पर काम शुरू हो गया है । खण्डवा-हिंगोली, गोप-कटकोला और गुआ-मनोहरपुर लाइनों पर निकट भविष्य में काम शुरू होगा ।

चुनार-राबर्ट्सगंज लाइन जल्द माल-यातायात के लिए खोल दी जायगी और आशा है कि मई १९५४ तक इस पर सवारी गाड़ियां भी चलने लगेंगी । पंजाब की नयी राजधानी चंडीगढ़ को रेल से मिलाने का काम पूरा हो गया है और बुदनी-बरखेड़ा की दोहरी लाइन भी बन चुकी है । संगानेर टाउन-टोडारायसिंह उपशाखा संगानेर-तोरदी सागर भाग पर काम समाप्त हो गया है और यह लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है । १९५४-५५ में माधेपुरा-मरलीगंज लाइन का काम पूरा हो जाने की आशा है । ९६ मील लम्बी क्विलान-इर्नाकुलम लाइन पर इर्नाकुलम-कोटटायम का ३७ मील लम्बा टुकड़ा १९५५ में खुल जाने की आशा है ।

मोकामा पर गंगापुल-निर्माण के लिए आवश्यक सामान और मशीनें इकट्ठी कर ली गयी हैं । नदी के बहाव पर नियंत्रण रखने के लिए सहायक निर्माण-कार्य भी पूरा हो चुका है ।

उखाड़ी गयी लाइनों में से नीचे लिखी लाइनें चालू वर्ष में फिर से बनायी गयीं :—

१. शोरानूर-अंगादिपुरम
(शोरानूर-निलम्बूर का भाग)
२. वसाद-काठना
३. वालामऊ-माधोगंज
(उन्नाव-माधोपुर का भाग)
४. मदुरा-उसिलमपट्टी
(मदुरा-बोदिनायकनूर का भाग)

इसके अलावा, नगरोटा-जोगिन्दर नगर और भागलपुर-मन्दरहिल उपशाखाओं पर फिर से लाइन बिछाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और ये लाइनें यातायात के लिए जल्द खोल दी जायेंगी ।

१९५४-५५ में निर्माण-कार्य, मशीन, डिब्बे, इंजिन आदि के लिए बजट में ९५ करोड़ रुपये का तख़मीना रखा गया है, जिसमें आगम द्वारा पूरा किये जाने वाले निर्माण-कार्य भी शामिल हैं । यह तख़मीना चालू वर्ष के संशोधित तख़मीने से १७ करोड़ रुपये अधिक है । निर्माण-कार्य के लिए कुल ३७·६४ करोड़ रुपये रखे गये हैं, जिस में नये निर्माण और कर्मचारियों के लिए मकान भी शामिल हैं । डिब्बे, इंजिन आदि के लिए ५२·५८ करोड़ रुपये रखे गये हैं । १·२० करोड़ रुपये सड़क-यातायात में लगाने के लिए रखे गए हैं ।

निर्माण-कार्य के लिए बजट में जो तख़मीना रखा गया है वह १९५३-५४ के संशोधित तख़मीने से १७ प्रतिशत और १९५२-५३ के वास्तविक व्यय से लगभग ४४ प्रतिशत अधिक है । निर्माण-कार्यों में शामिल की गयी योजनाओं को हमें एक सीमा के अन्दर ही रखना पड़ा है क्योंकि हमारे पास साधनों—खासकर रेल की पटरियों और स्लीपरों—की कमी है । हाल में आयात द्वारा रेल की पटरियों की कमी को दूर करने की व्यवस्था की गयी है और उसी के अनुसार बजट में तख़मीना भी रखा गया है ।

जितनी अधिक संख्या में डिब्बे, इंजिन आदि अब लिये जा रहे हैं, खरीद का

उतना बड़ा कार्यक्रम साधारणतः पहले कभी नहीं बनाया गया था। माननीय सदस्यों को मालूम है कि इंजिन, माल-गाड़ी के डिब्बे और रेल के दूसरे साधनों की कमी को तेज़ी से दूर करने के लिए देश में मालगाड़ी के डिब्बे इंजिन आदि बनाने और बाहर से भी इंजिन मंगाने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इंजिनों की संख्या बढ़ाने का काम कितना महत्वपूर्ण है इसका अनुमान यों लगाया जा सकता है कि पांच वर्ष की अवधि में, जो ३१ मार्च सन् १९५६ को समाप्त होती है, लगभग एक हजार इंजिन पुराने हो जायेंगे। इनमें उन इंजिनों की संख्या शामिल नहीं है जो पंच-वर्षीय योजना के शुरू में पुराने हो चले थे। जो कार्यवाही की गयी है उसके फलस्वरूप योजना की अवधि में लगभग १६०० नये इंजिनों के आने की आशा है। इससे इंजिनों की स्थिति में बहुत कुछ सुधार होने की आशा है।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि कोलम्बो योजना के अन्दर कनाडा की सरकार ने बड़ी लाइन के १२० सवारी गाड़ी के इंजिन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपनी विदेश-सहायता योजना के मातहत बड़ी लाइन के १०० इंजिनों की हमें सहायता दी है।

रेलों के लिए खरीदारी का जो कार्य-क्रम बनाया गया है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां तक हो सके देश में बने सामान खरीदे जायं। मेरा इरादा है कि चित्तरंजन कारखाने में औसत इंजन ज़्यादा तादाद में तैयार किए जाएं। शिफटें चला कर, मशीन वग़ैरह बढ़ाकर और अधिक कारीगरों को ट्रेनिंग देकर यह तादाद पहले १२० से १५०, और फिर २०० तक पहुंचाई जाए। टाटा लोकोमोटिव और इंजीनियरिंग कम्पनी का लक्ष्य साल में ५० इंजिन तैयार करने का है। इस कम्पनी ने अब तक कुल ५० इंजिन बनाकर दिये हैं। आशा है कि १९५४-५५ में यह कम्पनी अपने लक्ष्य पर पहुंच जायेगी।

जहां तक माल के डिब्बों की तादाद बढ़ाने का सवाल है, उन्हें लगभग देश में ही तैयार करने की योजना बनायी गई है। पिछले सालों में देशी कारखानों में हर साल अधिक से अधिक ७८०० माल के डिब्बे तैयार होते थे। इस आशा से कि अगले ५ साल तक रेलें सामान अधिक मात्रा में खरीदेंगी, कुछ नये कारखाने इस काम में लग गए हैं और पुराने कारखाने अधिक डिब्बे तैयार करने पर राज़ी हो गए हैं। इस आधार पर १९५४-५५ के कार्यक्रम के अनुसार ११००० माल के डिब्बों का आर्डर देशी कारखानों को दिया जायेगा। साथ ही हमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से उसके विदेश-सहायता-कार्यक्रम के मातहत ५००० माल के डिब्बे पाने की आशा है।

पिछले बजट-भाषण में मैंने सदन में कहा था कि सबारी-डिब्बों को बाहर से मंगाने के लिए आर्डर नहीं दिये गये हैं। इस साल भी स्थिति वैसी ही है। भारतीय रेलों को जितने डिब्बों की आवश्यकता है, उसके लिए रेलवे कारखाने और हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट फैक्टरी ज़्यादा तादाद में डिब्बे बना सकें, इसका प्रयत्न किया गया है। पैरम्बूर इंटीग्रल कोच फैक्टरी के बनाने का काम भी ठीक ढंग पर चल रहा है। आशा है कि १९५५ के दूसरे भाग में इस कारखाने में गाड़ियों के ढांचे बनने लगेंगे।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

मैंने एक ऐसी समिति बनाने का फैसला किया है जो हमें यह सलाह दे कि कुछ विशेष प्रकार के माल के डिब्बे, छोटी लाइन के इंजिन और दूसरे सामान जो अब तक विदेश से मंगाये जाते हैं, किस तरह अपने देश में तैयार किए जा सकते हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा नियुक्त मूलगावकर-समिति की खोज से मालूम होता है कि देश में इंजिनियरिंग-उद्योग के बहुतेरे साधन ख़ाली पड़े हैं। इस बात की जांच का यह अच्छा मौक़ा है कि रेल के सामान, डिब्बे और इंजिनों को देश में तैयार करने में ये साधन किस हद तक काम में लाये जा सकते हैं। आशा है कि देशी कारखाने रेल के ख़ास-ख़ास सामान को अधिक तादाद में बनाने में पूरा सहयोग देंगे। इस काम के लिए रेल के कारख़ानों का प्रयोग पूरी तौर पर कहां तक संभव है, इस पर विचार करने के लिए दो उच्च रेलवे अधिकारियों को भी नियुक्त किया जा रहा है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ नये बड़े निर्माण कार्यों पर काम जारी है, परन्तु हमारा विचार है कि १९५४-५५ में नये कामों को हाथ में लेने की अपेक्षा जो काम पहले शुरू किए गए हैं, उन्हें पूरा कर लेना ठीक होगा। यदि बहुत से नये काम एक साथ शुरू कर दिये जायें, तो साधन बंट जायेंगे। और सारे काम पिछड़ जायेंगे। फिर भी बजट में कुछ नये बड़े निर्माण कार्यों की व्यवस्था की गई है, उनमें से एक यह है कि कलकत्ता और उसके समीप के क्षेत्रों में बिजली की रेल चलाई जाए। हावड़ा-वर्दवान मुख्य लाइन पर बिजली से गाड़ी चलाने के सम्बन्ध में काम शीघ्र आरम्भ करने का फैसला किया गया है। आसाम के गौरो पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइन बनाने के लिए यातायात सम्बन्धी जांच-पड़ताल आरम्भ करने की भी व्यवस्था की गई है ताकि बजट-वर्ष के भीतर ही जो रास्ता तय हो उसकी अंतिम जांच शुरू कर दी जाए। इसके अलावा ७·०६ मील लम्बी पठानकोट-माधोपुर बड़ी लाइन पर भी काम शूरू करने का विचार है ताकि जम्मू-काश्मीर आने-जाने की सहूलियत हो। इस लाइन के बनाने में लगभग ३५ लाख रुपये की लागत का अनुमान है।

निर्माण की कुछ प्रस्तावित योजनाओं पर जिनकी चर्चा मैंने पिछले बजट में की थी, जांच-पड़ताल चालू वर्ष में शुरू की गई है। प्रस्तावित इन्दौर-उज्जैन बड़ी लाइन इनमें से एक है। इसके अलावा एटा में रेलवे लाइन और मंगलौर-हसन, दिवा-दासगांव, तेलडंगा-खजूरिया-माल्डा, भावनगर-तारापुर और फतेपुर-चूरू लाइनें हैं। क्विलान-इर्नाकुलम लाइन पर बिजली से गाड़ियां चलाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है और दक्षिण रेलवे के ताम्बरम-बिल्लूपुरम उपशाखा पर बिजली की रेल चलाने की बात भी विचाराधीन है। कुछ लाइनों की जांच-पड़ताल की रिपोर्ट आ गई है और कुछ की आने को है। इन योजनाओं पर तब तक काम शुरू नहीं किया जा सकता जब तक सभी रिपोर्ट न आ जाएं और उन पर विचार न कर लिया जाए। यदि १९५४-५५ में और नई लाइनें बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन और धन हुआ, तो मैं सदन के सामने इनके लिए पूरक मांग पेश करने में संकोच न करूंगा।

अब मैं कई लाइनों पर अधिक गाड़ियां चलाने के लिए जो काम किए

गए हैं उनका ज़िक्र करूंगा जिनका तख़मीना बजट में शामिल किया गया है। कुछ शाख़ाओं पर पिछले सालों में आमद-रफ़्त इतनी बढ़ गई है कि वे यातायात की मौजूदा और सम्भावित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पातीं। इन लाइनों पर अधिक गाड़ियां चलाने के उपाय ये हैं कि इन पर दोहरी पटरी बिछाई जाए, नये क्रासिंग स्टेशन बनाये जाएं, लूप लाइनें बढ़ाई जायें, सिगनल देने और उस पर नियंत्रण रखने के ढंग में सुधार किया जाए और मार्शलिंग तथा ट्रानशिपमेंट यार्डों में और सुविधाएं दी जाएं। १९५४-५५ के बजट में रखे गए इनमें से कुछ बड़े कामों के लिए ३·३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि चालू वर्ष में इनके लिए २·१ करोड़ रुपये रखे गए हैं। नीचे दी हुई लाइनों पर अधिक गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में साल के भीतर काम शुरू कर दिये गए हैं या शुरू किए जायेंगे।

१. आसाम रेल लिंक की सिलीगुरी-अलीपुर द्वार उपशाखा : जिसकी क्षमता दूनी से अधिक की जा रही है और इस पर १६० माल के डिब्बों की जगह प्रतिदिन ३५० डिब्बे चल सकेंगे।

२. दक्षिण रेलवे की बेजवाड़ा-मद्रास उपशाखा : जिस पर ३०० की जगह ४२० माल के डिब्बे प्रतिदिन चल सकेंगे। दक्षिण रेलवे इस काम पर ४ करोड़ रुपये खर्च रही है। इसके अलावा बेजवाड़ा यार्ड का ढांचा बदला जा रहा है जिस पर लगभग ८० लाख रुपये खर्च होंगे। २·०९ करोड़ रुपये की लागत पर गूदर-रेनिगुन्टा उपशाखा को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदला जा रहा है।

३. कटनी-मरवाड़ा होकर सेन्ट्रल इंडिया कोल फील्ड्स पर २६५ से बढ़कर ३५० माल के डिब्बे प्रतिदिन चलेंगे।

४. छिउकी होकर मध्य रेलवे पर १९० की जगह २४० माल के डिब्बे प्रतिदिन चलेंगे।

५. रायचूर-अराकोनम उपशाखा पर अधिक संख्या में माल-गाड़ियां चलाने की व्यवस्था की जा रही है।

६. अनार-जयचन्दी पहाड़-बर्नपुर, और सिनी-गोमहरिया उपशाखाओ पर इस्पात के बढ़े हुए उत्पादन के लिए कच्चे माल पहुंचाने के उद्देश्य से दोहरी लाइन बिछाई जा रही है।

कर्मचारियों के लिए निवासस्थान बनाने के काम पर रेलें चालू वित्तीय वर्ष में ४ करोड़ रुपये खर्च कर रही हैं। अगले वर्ष के बजट में इस काम के लिए ४·६० करोड़ रुपये रखे गए हैं। कर्मचारियों के निवासस्थान और सुविधा के लिए बजट में सब मिला कर ५·८४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सदन को ज्ञात होगा कि सन् १९४९ में रेलवे वित्त को सामान्य वित्त (जनरल फाइनेन्स) से अलग रखने की परिपाटी पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप भारत की संविधान सभा (विधायिका) ने रेलवे

[श्री एल० बी० शास्त्री]

वित्त और सामान्य वित्त के सम्बन्ध की परिभाषा देते हुए निश्चय किया था कि १९५०-५१ से अगले पांच वर्ष तक रेलवे पर लगी कुल पूंजी पर ४ प्रतिशत वार्षिक लाभांश सामान्य वित्त को दिया जाए। प्रस्ताव में कहा गया था कि ऊपर दी हुई अवधि के अन्त में सदन की एक समिति लाभांश की दर पर फिर विचार करेगी और रेलवे की आय, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज़ की दर और दूसरी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रख कर, ज़रूरी तब्दीलियों के साथ, आगे के लिए लाभांश की दर पर अपनी राय देगी। इसलिए, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस मामले पर विचार करने के लिए इस अधिवेशन में समिति बनाई जाए।

बजट-वर्ष में विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम की खास खास बातों को मैंने सदन के सामने रखने की कोशिस की है। देश में रेल-परिवहन को बढ़ाने और उसमें सुधार करने का हम पूरा यत्न कर रहे हैं, फिर भी मैं समझता हूं कि इसमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे देश के बहुत बड़े भाग का आर्थिक विकास अभी बाक़ी है। यह विकास तभी संभव है जब उन क्षेत्रों में रेल-परिवहन की अच्छी व्यवस्था की जाए। ऐसी हालत में मैं ज़रूरी समझता हूं कि रेलों के विकास और फैलाव के लिए साहसी नीति अपनाई जाए। किसी नये ज़रिए से आमदनी की कोई खास उम्मीद नहीं है। जिन कारणों से रेलवे का संचालन-व्यय बढ़ा है, संभव है कि उन्हीं कारणों से पंच-वर्षीय योजना के लिए रेलवे जो रकम अपने साधनों से इकट्ठा करती, उसमें कमी हो जाए, और यह भी संभव है कि रेलवे के लिए निर्धारित ३२० करोड़ रुपये में से पहले तीन साल में रेलवे सिर्फ़ १६५ करोड़ रुपये दे सके। इस तरह उस रकम में ६० करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है। साथ ही कुछ दूसरी बातें भी हैं जिनकी बजह से रेल का संचालन व्यय और भी बढ़ सकता है। इस हालत में मैं रेल के माल-भाड़े और सवारी-भाड़े के ढांचे में कुछ तब्दीली करने के सुझावों पर विचार कर रहा हूं, जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से उनपर अमल करना आवश्यक है।

इसके साथ इस बात की भी ज़रूरत है कि नई लाइनों के बनाने का काम जारी रहे और यदि संभव हो, तो इस काम को और बढ़ाया जाए। सामान की क़ीमतों और मज़दूरी की दर बढ़ जाने के कारण नई लाइनों पर जो रक़म लगाई जाती है वह कुछ समय तक अनुत्पादक होती है। विकास-कोष की रक़म भी तेज़ी के साथ घट रही है। फिर इन नये निर्माण कार्यों पर धन कहां से लगाया जाए? इसका केवल यही उपाय जान पड़ता है कि इन कामों पर लगाई हुई रक़म की प्राप्ति के लिए कुछ समय तक नई लाइनों पर किराया-भाड़ा असल दूरी को बढ़ा कर लगाया जाए ताकि ये योजनाएं आर्थिक रूप में बोझ न बन जाएं। यह तरीक़ा वहां भी अमल में लाया जा सकता है जहां एक लम्बे रास्ते के अलावा दूसरा कम लम्बा रास्ता हो। यह ज़रूरी नहीं है कि कम लम्बे रास्ते से यातायात के खर्च में जो बचत होगी वह सब की सब रेल का इस्तेमाल करने वालों को ही दे दी जाए।

बन्दरगाहों से दूर-दूर स्थानों में जो अधिक मात्रा में अनाज भेजा जाता था

वह बहुत कुछ कम हो गया और साथ ही रेलों के लिए कोयले का परिवहन भी कम हुआ। इन दो कारणों से १९५२-५३ में बड़ी लाइनों पर टन-मील में कुछ कमी आ गई जिसका बड़ी लाइन के माल-यातायात के आंकड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और इसी वजह से बड़ी लाइन की कार्यक्षमता कुछ घट कर १९५१-५२ में १०२·६ के मुकाबिले १९५२-५३ में १०१·७ रह गई। लेकिन गाड़ियों के ठीक समय पर चलने, अधिक माल और सवारी गाड़ियां, माल के डिब्बों और इंजिनों के उपयोग में सुधार हुआ। मीटर लाइन पर लगभग काम के सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। इसकी कार्य-क्षमता १९५१-५२ में ९३·३ थी जो १९५२-५३ में बढ़कर ९५·९ हो गई।

१९५३ में गाड़ियों के समय पर चलने में सुधार हुआ। १९५३ के पहले ९ महीनों में बड़ी लाइन पर ठीक समय पर चलने वाली गाड़ियों का प्रतिशत ८१·९ था जबकि पिछले वर्ष इसी समय यह ८० था। मीटर लाइन पर १९५३ में ठीक समय पर चलने वाली गाड़ियों का प्रतिशत ८१·४ रहा जबकि १९५२ में यह ८०·६ था।

प्रयाग कुम्भ मेला के अवसर पर असाधारण यातायात के इन्तज़ाम के लिए सभी रेलों से इंजिन और डिब्बे आदि लेकर विशेष प्रबन्ध किया गया। ६ फरवरी, १९५४ तक इलाहाबाद आने-वाले यात्रियों के लिए ३७४ और मेले से वापसी के लिए ३४४ स्पेशल गाड़ियां चलाई गयीं। इसके अलावा स्थानीय तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए मेला-क्षेत्र में ५१० शटल गाड़ियां चलाई गयीं।

अगस्त १९५३ में माल के यातायत में प्रथमता दी जाने वाली वस्तुओं की तरतीब में कुछ हेर-फिर किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि निश्चित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के साथ थोड़ी बहुत मात्रा में वे सब वस्तुएं भी भेजी जा सकें जिनका यातयात स्थानीय अर्थिक व्यवस्था के हित में आवश्यक है। इस नये ढंग से काम अब तक संतोषजनक रहा है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि भारतीय रेलों की कार्यपटुता बढ़ाने और उन पर खर्च कम करने के उद्देश्य से चालन, कारखाने, मारशलिंग यार्ड और दूसरे आंकड़ों पर अध्ययन करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक यफिसियन्सी ब्यूरो बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, परन्तु इस ब्यूरो की स्थापना का काम कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा था क्योंकि यह अनुभव किया गया कि रेलों के पुनर्गठन के बाद उन्हें व्यवस्थित होने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। ब्यूरो की स्थापना अब हो गयी है। इसका उद्देश्य है कि पुराने और खर्चीले काम के तरीक़ों की जांच करके उन्हें हटाये और रेल के संचालन और उसकी व्यवस्था की कार्यपटुता की जांच के लिए उपयुक्त साधन ढूंढ़ निकाले।

माल पहुंचने में जो अधिक समय लगता है उसका एक कारण यह भी है कि जिन स्टेशनों पर माल एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में बदला जाता है वहां प्रायः देर होती है। माल के डिब्बे पहले स्टेशन से तो ठीक समय पर चलते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं। मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि यफिसियन्सी-ब्यूरो रेल के एक ऊंचे अफ़सर की सहायता से इसकी जांच करे और माल पहुंचने में जो देर होती है उसे दूर करने के लिए सुझाव रखे।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

पिछले साल मने कहा था कि मैं पूर्नविभाजित रेलों के काम का विवरण सदन के सामने रखूंगा । इसी विचार से बजट के कागजों में एक पुस्तिका भी शामिल की गयी है जिसमें संचालन-सम्बन्धी कुछ तुलनात्मक आंकड़े दिये गये हैं । ये आंकड़े केवल थोड़े समय के हैं, इनके आधार पर ठीक-ठीक तुलना नहीं की जा सकती । इसलिए, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वास्तविक स्थिति की परख कठिन जान पड़ती हैं और मालूम होता है कि इस सम्बन्ध में किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी कुछ समय लगेगा । पुनर्विभाजन के बाद यह आवश्यक है कि रेलें अपने काम को साधारण स्तर पर ले आवें ।

पिछले कई सालों से यात्री-सुविधा को बढ़ाने के लिए हम एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार काम कर रहे हैं । मेरा विचार है कि बजट-वर्ष में छोटे और देहाती स्टेशनों पर यात्रियों के लिए और अधिक सुविधायें दी जायें । यात्रि-सुविधा के लिए रेलों ने एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है जिसके अनुसार एक निश्चित समय के भीतर काम होगा । लगभग ५०० स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अधिक सुविधा की व्यवस्था की जा रही है । इसमें प्लेटफार्म के विस्तार, उन्हें ऊंचा करने, उनके फर्श को सुधारने और शेड बनाने आदि काम शामिल है । लगभग ३०० स्टेशनों पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था में सुधार हो रहा है । १०० से अधिक स्टेशनों पर बिजली लगायी जा रही है और दूसरे १०० स्टेशनों पर अच्छी रोशनी का प्रबन्ध किया जा रहा है । लगभग ३५ स्टेशनों पर एक प्लैटफार्म से दूसरे प्लैटफार्म पर जाने के लिए पुल बनाये जा रहे हैं ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि परसाल मैंने पहले की आसाम रेलवे में, जो अब पूर्वोत्तर रेलवे में है, यात्रा-सम्बन्धी सुधार और यात्रियों के लिए सुविधा के प्रश्न पर जांच करने के लिए बड़े अधिकारियों की एक कमेटी तायनात की थी । इस रेलवे को १९५४-५५ के बजट में साधारणतः दी जाने वाली रक़म से ५ लाख रुपये अधिक दिये गये हैं ताकि कमेटी की सिफ़ारिशों के मुताबिक जल्द काम शुरू किया जा सके ।

जहां तक सार्वजिनक हित का सम्बन्ध है, मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि इस काम में जनता का सहयोग प्राप्त किया जाय । हर रेलवे में एक यात्री-सुविधा समिति बनायी गयी है जो इस बात का फ़ैसला करती है कि सुविधा-सम्बन्धी कौन से काम पहले किये जायं । इस कमेटी में रेलवे अधिकारियों के अलावा ग़ैर-सरकारी सदस्य भी रखे गये हैं ।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधा देने के लिए रेलों ने कौन कौन से काम किये हैं । पहले दर्जे को तोड़ने के बाद निचले दर्जे में स्थान बढ़ाने का काम और उसमें सुधार सम्भव हो सका है । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले दर्जे को हटा देने से रेलवे की आमदनी में कमी होने का जो डर था वह ग़लत साबित हुआ है । माननीय सदस्यों को याद होगा कि पहले दर्जे से रेलवे को कभी लाभ नहीं हुआ इसलिए, ऊंचे दर्जे को निचले दर्जे में बदलने से रेलवे की असल आमदनी बढ़नी ही चाहिये ।

मैं जानता हूं कि बहुत सी लाइनों पर तीसरे दर्जे के यात्रियों को अब भी

बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें विश्वास है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और स्विटज़रलैंड के बने तीसरे दर्जे के नये डिब्बों में काफ़ी सुधार हुआ है। उसमें बैठने की जगहें अधिक चौड़ी और आरामदेह हैं। पंखे, रोशनी, और शौचस्थान का अच्छा प्रबन्ध है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर नये डिब्बे बनाये जा रहे हैं। उन डिब्बों में भी, जो २० वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं, पंखे लगाये जा रहे हैं। मेरा पूरा प्रयत्न है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा दी जाय। हम चाहते हैं कि ऊंचे और नीचे दर्जों में जो भेद है उसे यथासम्भव कम किया जाय, पर इसमें कुछ समय तो लगेगा।

रेलवे प्रशासनों ने सवारी-गाड़ियों में भीड़ कम करने की कोशिश बराबर जारी रखी यद्यपि यात्रियों की संख्या पिछले सालों से अधिक नहीं रही, फिर भी जहां कहीं हो सका है, नयी गाड़ियां चलायी गयीं और कुछ गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया। अप्रैल, १९५३ से नवम्बर, १९५३ तक, १९० नयी गाड़ियां चलायी गयीं और १२६ गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया। १९५२-५३ में सवारी गाड़ियों की मील-संख्या ९·७६ करोड़ रही जब कि १९५१-५२ में यह संख्या ९·६ करोड़ थी। चालू वर्ष के पहले आठ महीनों में नयी गाड़ियों की प्रतिदिन की मील-संख्या में बढ़ोतरी इस प्रकार है:—

| | गाड़ियों की मील-संख्या |
|---|---|
| बड़ी लाइन | ७,४५० |
| मीटर लाइन | ४,६५६ |
| छोटी लाइन | ३९७ |

१९५२-५३ में बड़ी लाइन पर १८४ और मीटर लाइन पर १३५ तीसरे दर्जे के नये डिब्बे चलाये गये। तीसरे दर्जे के यात्रियों की संख्या १९५१-५२ में ११६·३ करोड़ की बजाय १९५२-५३ में ११२·० करोड़ ही रही, जबकि तीसरे दर्जे में बैठने के स्थान ८५६ हजार से ८६४ हजार हो गये। मुझे आशा है कि जब कुछ और नये डिब्बे चालू होंगे, तो इस दिशा में और भी सुधार होगा।

पिछले बजट भाषण में मैंने कहा था कि खोये हुए या नष्ट माल से सम्बन्धित हर्जाने के दावों के निबटारे में सुधार हुआ है। इस काम में सुधार जारी है। इस तरह के दावों के निबटारे में जो औसत समय लगता है वह घट कर १९५२-५३ में ७१ दिन रह गया है। पुराने दावों के निबटारे पर विशेष ध्यान दिया गया जिस इन दावों की तादाद कम हो गयी है।

रेलवे बोर्ड में सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति से वाच एण्ड वार्ड और रेलों में सुरक्षा सम्बन्धी दूसरे संगठनों में सुधार के लिए ठोस कदम उठाना सम्भव हो सका है। हर एक रेलवे में एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है जिसका दर्जा डी० आई० जी० का होगा। सुरक्षा अधिकारी का सम्बन्ध सीधे जनरल मैनेजर से होगा। इससे राज्य पुलिस और रेलवे पुलिस मिलजुल कर और अच्छे ढंग पर काम कर सकेंगी। हर एक क्षेत्र में वाच एण्ड वार्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। जो लोग इस विभाग में पहले से हैं उन्हें फिर से ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जा रही है। रेल में होने वाली चोरियों को रोकने के लिए विशेष नियम बनाये जा रहे हैं। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि गृह-मंत्रालय इस

[श्री एल० बी० शास्त्री]

सम्बन्ध में हमारे साथ मिलकर काम करने के ढंग पर विचार कर रहा है । इससे निकट भविष्य में कुछ विशेष सुधार की आशा है ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने रेलों के पुनर्विभाजन के सिलसिले में रेलवे की स्थानीय सलाहकार समितियों के पुनर्गठन का ज़िक्र किया था ताकि इन समितियों में रेल का उपभोग करने वालों को अधिक स्थान मिल सके । वर्ष के भीतर इन प्रस्तावों पर अमल किया गया है और रेलवे के सदर मुकामों पर क्षेत्रीय-रेल-उपभोक्ता सलाहाकार समितियों के अलावा प्रादेशिक अथवा विभागीय समितियां भी बन गयी हैं। पहले की स्थानीय सलाहकार समितियों की अपेक्षा इन समितियों में जन-साधारण को अधिक स्थान दिया गया है, इसलिए जनता की राय जानने में इन समितियों से बड़ी सहायता मिल रही है । केन्द्र में एक राष्ट्रीय रेल-उपभोक्ता सलाहकार समिति भी बनायी गयी है । बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिए इस समिति की पहली बैठक अक्तूबर १९५३ में हुई ।

हाल में सवारी गाड़ियों की जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनकी याद दिलाने के लिए माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे । ये दुर्घटनाएं माननीय सदस्यों और मेरे लिए समानरूप से दुःखद है । इतने थोड़े समय के भीतर इन दुर्घटनाओं का होना दुर्भाग्य की बात है, पर इनसे हमें घबराना या भयभीत नहीं होना चाहिए । फिर भी रेल प्रशासनों का यह कर्तव्य है कि वे बराबर सतर्क रहें और इस बात का ध्यान रखें कि रेल-दुर्घटनाओं को यथासम्भव रोका जाय । इस उद्देश्य से मैंने एक कमेटी बनायी है जिसके अध्यक्ष श्री शाहनवाज, संसदीय सचिव, और सदस्य मुख्य रेलवे-निरीक्षक और एक अवकाश-प्राप्त जनरल मैनजर हैं । यह कमेटी नीचे दी गयी बातों पर विचार करेगी :—

(अ) १ जनवरी, १९५३ से अब तक की दुर्घटनाओं पर हुई जांच की रिपोर्टों का अध्ययन और उनके कारणों का विश्लेषण,

(ब) जांच करने वाले अधिकारियों की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी और जिन सिफ़ारिशों को रेलवे बोर्ड या रेलवे प्रशासनों ने मान लिया, उन पर कहां तक अमल किया गया,

(स) और इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव ।

समिति ने काम शुरू कर दिया है और अप्रैल १९५४ के अन्त तक अपनी रिपोर्ट देगी ।

रेलवे बोर्ड के कार्यालय में एक हिन्दी विभाग खोला गया है जिसका सम्बन्ध अधिकतर हिन्दी पत्र-व्यवहार से है । इस विभाग में सरकारी दस्तावेज और दूसरे पत्रों का हिन्दी अथवा अंगरेज़ी अनुवाद भी किया जाता है । रेल के कामों में आने वाले शब्दों का हिन्दी-अनुवाद भी किया जा रहा है और उनकी सूची तैयार की जा ही है । इस सम्बन्ध में मैंने साफ़ तौर पर आदेश दे रखा है कि हिन्दी के जो शब्द चुने जायं वे यथासंभव सरल हों ताकि आसानी से समझे जा सकें । रेलवे कार्यालयों में हिन्दी के जो पत्र आते हैं उनका उत्तर हिन्दी में दिये जाने के लिए रेलवे प्रशासन आवश्यक प्रबन्ध कर रहे हैं ।

लखनऊ के हमारे अन्वेषण और परीक्षण केन्द्र और चित्तरंजन तथा लोनावला के उपकेन्द्रों में उपयोगी काम शुरू हो गया है । इन जगहों पर अभी उन्हीं बातों के बारे में जांच शुरू की गयी है जिनकी रेलवे को फ़ौरन ज़रूरत है और जिनके अध्ययन तथा परीक्षण से कुछ दिनों में व्यावहारिक प्रयोग की उपयोगी बातें जानी जा सकेंगी । हमें यह भी मालूम हो सका है कि भारतीय परिस्थितियों में पटरियों--खासकर मोड़ और घुमाव--पर इन्जिनों का क्या असर होता है । आशा है कि इससे रेलवे लाइन पर शुरू के खर्च और देखभाल के खर्च में किफ़ायत होगी ।

रेलों के स्टोर को कम करने के लिए रेलवे बोर्ड ने जो कोशिश की, और जिसका मैंने पिछले साल ज़िक्र किया था, उससे स्टोर में बहुत कुछ कमी हुई है । ३१ मार्च, १९५२ को स्टोर का मुल्य ६३.४१ करोड़ रुपये था, मार्च १९५३ के अन्त में उसका मूल्य ५१.२० करोड़ रुपये रह गया । १९५४-५५ के अन्त में इसमें ४ करोड़ रुपये के सामान की और कमी होने की संभावना है ।

इंजिनों और डिब्बों की देखभाल और कारखानों के साधनों के उपयोग में १९५०-५१ से बराबर सुधार हो रहा है । निर्धारित माप के अनुसार १९५१-५२ में बड़ी लाइन के १९७१ इंजिनों की मरम्मत हुई और १९५२-५३ में यह संख्या बढ़कर २१५३ तक पहुंच गयी । इसी तरह मीटर लाइन के इंजिनों और बड़ी तथा मीटर लाइन के सवारी और माल के डिब्बों की मरम्मत में भी उन्नति हुई है ।

मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहूंगा कि साल के शुरू में रेलवे बोर्ड की ओर से हिदायत की गई है कि रेलवे में खादी का अधिक प्रयोग किया जाय । रेलवे प्रशासनों से कहा गया है कि बिछाने की चादरें, मेज़पोश, डस्टर, तौलिये और दरियें आदि ज़रूरत के सामान खादी के ही खरीदें । जो खादी खरीदी जाय वह शुद्ध हो, इसके लिए तय किया गया है कि खादी केवल अखिल भारतीय खादी और ग्राम-उद्योग बोर्ड के मारफ़त खरीदी जाय । जहां कहीं खादी का प्रयोग असुविधाजनक नहीं है, वहां खादी ही काम में लायी जा रही है ।

भारतीय रेलों के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों को समान अवसर देने और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में प्रगति लाने के लिए इलाहाबाद और मद्रास में दो नये रेलवे सर्विस कमीशन खोले गए हैं । इलाहाबाद कमीशन उत्तर रेलवे और पहले की अवध-तिरहुत रेलवे के उस भाग के लिए भर्ती करेगा जो अब पूर्वोत्तर रेलवे में शामिल है । मद्रास कमीशन दक्षिण रेलवे, इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, और मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद डिवीज़न के लिए भर्ती का काम करेगा ।

पिछले वर्ष बजट पेश करते समय, रेलवे में फैले हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए, मैं ने संसद् के सदस्यों की एक समिति बनाने की इच्छा प्रकट की थी । सितम्बर, १९५३ में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में इस समिति की नियुक्ति की गई और अक्तूबर में इसने काम शुरू किया । समिति ने अलग-अलग हितों की राय जानने के लिए एक प्रश्नावली जारी की है और कुछ जगहों का दौरा भी किया है । इस बीच में पंडित कुंजरू राज्य पुनर्निर्माण-आयोग (States Reorganisation Commission)

[श्री एल०बी० शास्त्री]

के सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं जिससे रेलवे-भ्रष्टाचार जांच समिति को उनका अमूल्य सहयोग न मिल सकेगा । मुझे प्रसन्नता है कि आचार्य जे० बी० कृपलानी ने पंडित हृदयनाथ कुंजरू की जगह पर समिति का अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया है ।

पहले बतलाये गए कारणों से यद्यपि सवारी-भाड़े या माल-भाड़े में आमतौर पर कोई कमी न कर सका हूं, फिर भी मैं सदन को बतलाना चाहूंगा कि नीचे दी गयी यात्रा-सम्बन्धी रियायतें जारी की जा रही हैं—

**(१) दूसरे, ड्योढ़े और तीसरे दर्जे के लिए किराए की साधारण दर के ३/४ पर १५०० मील या उससे अधिक के लिए निर्धारित यात्री टिकट :**

**श्री श्यामनन्दन सहाय** (मुज़फ्फरपुर मध्य) : वापसी टिकट ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : जी हां ।

यह रियायत केवल उन निश्चित यात्राओं के लिए ही नहीं है जिनका क्रम रेलों द्वारा सूचित किया जाता है, बल्कि यात्रियों द्वारा प्रस्तावित उन यात्राओं के लिए भी दी जायगी जिनको रेलवे स्वीकार कर ले ।

**(२) विद्यार्थियों के लिए पर्यटन-टिकट :**

अब तक विद्यार्थियों के लिए साधारण रिआयती दर पर ४५ दिन के लिए पर्यटन-टिकट उस हालत में दिये जाते रहे हैं जब कम से कम १० विद्यार्थी एक टोली में यात्रा करें । भविष्य में शिक्षा- सम्बन्धी यात्रा के लिये यह सुविधा केवल १० विद्यार्थियों की टोली को ही नहीं, बल्कि चार या उससे अधिक विद्यार्थियों की टोली को भी दी जायगी ।

**(३) विद्यार्थियों के लिए मासिक रिआयती टिकट :**

मासिक रिआयती टिकट अभी तक केवल शहर के आसपास के स्टेशनों के लिए जारी किये जाते रहे हैं । अब से यह टिकट देहाती क्षेत्रों के लिए भी दिया जायगा और उन विद्यार्थियों को मिल सकेगा जो रोज़ किसी स्टेशन से एसे स्कूल या कालेज जाते हैं जिसकी दूरी उस स्टेशन से ३० मील से अधिक नहीं है । यह मासिक टिकट एक तरफ के किराये के १२ गुने मूल्य पर दिया जायगा ।

**(४) पहाड़ पर आने-जाने के लिये रिआयती टिकट :**

अप्रैल और अक्टूबर के बीच दूसरे, ड्योढ़े और तीसरे दर्जे के रिआयती वापसी टिकट कुछ खास-खास पहाड़ी स्थानों के लिये उन सभी स्टेशनों से जारी किये जायेंगे जो अमुक पहाड़ी स्थान से १५० मील या अधिक दूर हों । इस तरह के टिकट का किराया एक ओर के किराये का ड्योढा होगा और उसकी मियाद तीन महीने होगी ।

(५) इन रिआयतों के अलावा जनरल मैनेजर को भी अपनी रेलवे में वापसी टिकट जारी करने का अधिकार है । वे अब भी वापसी टिकट जारी कर सकते हैं । वापसी टिकट जारी करने के लिए उन्हें विशेष मंजूरी की ज़रूरत न होगी ।

अब मैं कुछ उन बातों की चर्चा करना चाहता हूं जिनका सम्बन्ध रेलवे कर्मचारियों से है ।

(१) **महंगाई के भत्ते का वेतन में मिलाया जाना :**

माननीय सदस्य गाडगिल कमेटी की सिफ़ारिशों से परिचित हैं । मुझे ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं है । सरकार ने इन सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है और इन से हर साल लगभग ३ करोड़ रुपये का खर्च बढ़ जायेगा ।

(२) **तदर्थ न्यायाधिकरण** (Ad hoc Tribunal) **की नियुक्ति :**

कर्मचारियों और रेल-प्रबन्ध के बीच मध्यस्थ-संस्थाओं ने सब कहीं झगड़े निबटाने में अच्छा काम किया है । बहुत सी उलझने सफलतापूर्वक सुलझाई गई हैं । मैं चाहता हूं कि हर डिवीज़न या रीजन और क्षेत्र में ऐसी बैठकें और बुलाई जायं, बातचीत की जाये, जिन से बहुत सी समस्याओं का शुरू में ही निबटारा होने में मदद मिले ।

माननीय सदस्यों को मालूम ह कि जिन मामलों का निर्णय रेलवे बोर्ड भी नहीं कर पाता, ऐसे मामले निर्णय के लिए तदर्थ न्यायाधिकरण को सौंप दिए जाते हैं, जो अपनी सिफारिश सरकार को देता है। इसीलिए, कुछ खास बातें, जिन पर कुछ समय से फैसला नहीं हो पाया है, ट्रायबुनल के सुपुर्द की गयी हैं। जुलाई १९५३ में सरकार ने एक 'तदर्थ न्यायाधिकरण' की नियुक्ति के फैसले का ऐलान किया । इलाहाबाद हाई कोर्ट के भूतपूर्व जज, श्री शंकर शरण, उसके एक मात्र सदस्य नियुक्त किए गए और पांच खास मामले फैसले के लिए उनके सामने रखे गए। आशा है कि ट्रायबुनल के प्रयत्नों से सभी मामलों का संतोषजनक हल निकल आयेगा ।

(३) **सम्मिलित रेलों के कर्मचारियों की अग्रता** (Seniority) :

जब से रेलों का एकीकरण हुआ, तभी से तीसरी और चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की अग्रता का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है । इन ६ रेलों पर नियुक्त अग्रता-समिति की सिफारिश और राष्ट्रीय रेल-कर्मचारी संघ की राय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद कर्मचारियों की अग्रता तय करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं । इस सम्बन्ध में, कुछ निर्दिष्ट अपवादों के अधीन, कर्मचारियों की अस्थायी और स्थायी सेवा का काल उनकी अग्रता का मूल आधार होगा । रेलवे प्रशासनों को हिदायत दी गयी है कि इन नियमों के अनुसार अग्रता सूची (Seniority list) तैयार करने का काम यथाशीघ्र समाप्त करें ।

(४) **सलेक्शन पोस्ट :**

पिछला बजट पेश करते समय मैंने कहा था कि कर्मचारियों के चुनाव के ढंग में सुधार करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और साथ ही यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि यदि कोई कर्मचारी अयोग्य न ठहराया गया हो, तो किस हद तक उसकी तरक्की केवल अग्रता के आधार पर होनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है । संशोधित नियम हर रेलवे प्रशासन के निर्देश के लिए भेज दिए गए हैं । इन नियमों के अनुसार आगे सिर्फ दो तरह की जगहें होंगी : सलेक्शन पोस्ट, और नान-सलेक्शन पोस्ट । २००—३०० रुपये

[श्री एल० बी० शास्त्री]

या इससे ऊपर के वेतन-क्रम की सब जगहें सलेक्शन पोस्ट मानी जायंगी । इस के अलावा १५०–२२५ रुपये के वेतन-क्रम में कुछ खास जगहों को भी, जिनमें निगरानी और किसी हद तक व्यक्तिगत जिम्मेदारी पायी जाती है, सलेक्शन पोस्ट में गिना जायगा । इसके अलावा कर्मचारियों के चुनाव में योग्यता, अग्रता आदि जिन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उनका फैसला भी कर दिया गया है । चुनाव-बोर्डों को इस सम्बन्ध में और कौन सी हिदायतें दी जायें, इस पर विचार हो रहा है ।

**(५) निवास-स्थान की व्यवस्था :**

कर्मचारियों की एक बड़ी आवश्यकता यह है कि रहने के लिए उनके पास पर्याप्त स्थान हो । कर्मचारियों के निवास-स्थानों में रेलवे प्रशासनों द्वारा अधिक सुविधा देने का प्रयत्न किया जा रहा है । जहां बिजली मिल सकती है, वहां हर दर्जे के निवास-स्थान में बिजली लगायी जायगी और जहां जल-वाहित पनाले हैं, वहां फ्लश ढंग के शौचस्थान बनाए जायेंगे । इन कामों के अलावा सभी मौसमों के लिए उपयक्त सड़कें और उन पर रोशनी की व्यवस्था की जायगी और काफ़ी तादाद में पनाले बनाए जायेंगे । निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पुराने मकान में बराबर अधिक सुधार की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है । कर्मचारियों के निवास-स्थान बनाने की जो कोशिशें की गई हैं, माननीय सदस्य उनकी सराहना करेंगे । १९५२-५३ में ५,६६६ मकान बनाये गये । आशा है, १९५३-५४ में ९,७१० और १९५४-५५ में ८,७२२ मकान बनाये जायेंगे जिनमें से ६,२१३ बड़े बड़े शहरों में होंगे और बाकी १२,२१९ देहाती स्टेशनों पर ।

**(६) चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएं :**

सरकार रेलवे-कर्मचारियों के स्वास्थ्य की ओर बराबर सतर्क रही है । तपेदिक के रोगी रेलवे कर्मचारियों को समुचित डाक्टरी सहायता देने के विचार से कुछ सरकारी और ग़ैर-सरकारी अस्पतालों में उनके लिये अतिरिक्त स्थान सुरक्षित करने का फ़ैसला किया है । एक रेलवे डाक्टर और वित्त अधिकारी इसकी छानबीन कर रहे हैं । उन्होंने एक विशेष अन्तरिम रिपोर्ट दी है ।

हमारा विचार है कि ऐसे स्थान हर रेलवे में होना आवश्यक हैं जिससे कर्मचारियों को अपने राज्य के निकट चिकित्सा की सुविधा मिल सके । इससे उनके सम्बन्धियों को भी उनकी देख-भाल में आसानी होगी । इस आधार पर अभी पूर्व और दक्षिण रेलवे में एक-एक अस्पताल बनाये जा रहे हैं । मुझे आशा है कि दूसरी रेलों में भी इस तरह का जल्द इन्तज़ाम हो जायगा ताकि रोगियों को जल्द ही उनमें दाखिल किया जा सके ।

कुछ समय से रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा-सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार के प्रश्न पर मैं विचार कर रहा हूं । एक मुख्य चिकित्सा-अधिकारी इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि कर्मचारियों की चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधा के लिये दिये गये आर्थिक तथा दूसरे साधनों का कहां तक सदुपयोग हो रहा है । उनकी रिपोर्ट मिलने पर स्वास्थ्य-सेवा से सम्बन्धित दूसरी बातों पर विचार किया जायगा ।

(७) **दूसरी श्रेणी की नौकरियां :**

पर साल मैंने कहा था कि निश्चित संख्या में दूसरी श्रेणी से पहली श्रेणी में तरक्की देने का प्रयत्न किया जा रहा है । एकीकरण के बाद ६ रेलों के दूसरी श्रेणी के सभी अधिकारियों की अग्रता कुछ नियमों के आधार पर तय कर दी गई है । ये नियम इस प्रश्न से सम्बन्धित सभी पहलुओं को सामने रख कर रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार किये गये हैं । जहां कहीं तरक्की मिलनी चाहिए उसे अमल में लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है । इस तरह की ५९ तरक्कियों में से १३ के लिए आदेश दे दिया गया है और ३८ के बारे में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया है ।

अब तक दूसरी श्रेणी के केवल उन्हीं अधिकारियों को पहली श्रेणी में तरक्की दी जाती रही जिनकी उम्र ५० साल से अधिक न हो । मेरी यह धारणा है कि उम्र का प्रतिबन्ध हटा दिया जाय । इस सम्बन्ध में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा जा रहा है । मैंने यह भी फैसला किया है कि दूसरी श्रेणी से पहली श्रणी में आने वाले अधिकारियों के अग्रता सम्बन्धी नियमों पर फिर से विचार किया जाय । भविष्य में दूसरी श्रेणी से पहली श्रेणी में तरक्की पाने वाले अधिकारियों की अग्रता के लिये उनकी दूसरी श्रेणी की स्थायी और लगातार अस्थायी सेवा-काल का आधा समय शामिल किया जायगा, लेकिन यह ५ साल से अधिक न होगा । पुराने मामलों को फिर से शुरू न किया जायगा, लेकिन इस समय या आगे होने वाली तरक्की इसी आधार पर दी जायगी । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुनर्विभाजन के बाद ही यह निर्णय किया गया था कि दूसरी श्रेणी की उस समय की खाली जगहों में से केवल ५० फी सदी जगहों पर स्थायी तरक्की दी जाय । लेकिन १९५२ में यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया और केवल ६ जगहों को छोड़ कर ऐसी सभी जगहों पर स्थायी तरक्की दी गयी है ।

**कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध :**

इस साल भी कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच अच्छे और सद्भावना-पूर्ण सम्बन्ध बने रहे जो भविष्य के लिए शुभसूचक हैं । इस साल रेल-कर्मचारियों के दोनों संघ "इण्डियन रेलवेमेन्स फैडरेशन" और "इण्डियन रेलवे वर्कर्स फैडरेशन" आपस में मिल गये और अब उनकी जगह "नैशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन रेलवेमेन" नाम की एक संस्था बन गयी है । यह भी अच्छी बात है और मुझे विश्वास है कि यह कर्मचारियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी । स्वर्गीय श्री हरिहरनाथ शास्त्री ने इन दोनों संगठनों को मिलाने का कठिन प्रयत्न किया था । मजदूरों के प्रति उन की सेवाओं से सभी परिचित हैं । दर्दनाक परिस्थितियों में उनकी मृत्यु से जो क्षति हुई है उस से हम सब दुःखी हैं ।

रेल का इस्तेमाल करने वालों के प्रति रेल-कर्मचारियों के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा । कुछ रेल कर्मचारी, औरों की अपेक्षा, अपने रोज के काम में जनता के अधिक निकट सम्पर्क में आते हैं । उन्हें अपने व्यवहार में अधिक सावधानी बरतनी

[श्री एल० बी० शास्त्री]

पड़ेगी । पर साल मैंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि कर्मचारी रेल का इस्तेमाल करने वालों के प्रति अपने व्यवहार को बदलें । इसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन मैं यह साफ़-साफ़ कह देना चाहता हूं कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ सुधार होना चाहिए । इस समय समाज की बदलती हुई विचारधारा के साथ रेल-कर्मचारियों को भी अपना दृष्टिकोण बदलना है । समाज से वर्ग-भेद मिटता जा रहा है और हर नागरिक समाज में बराबरी चाहता है । जैसे-जैसे जागृति बढ़ेगी, वह असमानता के बर्ताव को पसन्द नहीं करेगा । वास्तव में रेल-कर्मचारियों को साधारण जनता, चाहे वह तीसरे दर्जे का यात्री हो अथवा माल या पार्सल बुक करानेवाला दूकानदार, सभी के प्रति अपना दृष्टिकोण बिल्कुल बदल देना चाहिए ।

भाषण समाप्त करने से पहले, मुझे यह कहने में प्रसन्नता होती है कि रेलवे बोर्ड, जनरल मैनेजरों, रेलवे-अधिकारियों और कर्मचारियों से मुझे पर्याप्त सहायता और सहयोग मिला है ।

**श्री बी० एस० मूर्त्ति** (एलूरु) : मजदूर ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : "कर्मचारियों" में मजदूर भी सम्मिलित हैं ।

इस समय आर्थिक विकास की प्रगति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि खेती, उद्योग और व्यापार की अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवहन की पर्याप्त सुविधा दी जाय । विभिन्न कामों के लिए परिवहन की पूरी सुविधा देना रेलवे कर्मचारियों के लिए चुनौती है और उनका यह काम बड़े महत्व का है । मुझे विश्वास है कि हर रेलवे-कर्मचारी अपनी पूरी ताक़त लगा कर स्थिति का सामना करेगा ।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपको और सदन को धन्यवाद दूंगा कि आप सबने मेरा भाषण शान्ति से सुना । सदन और देश की जनता से पर्याप्त मात्रा में जो सहयोग और प्रोत्साहन मुझे सदा मिलता रहा है, मैं उस के लिए भी उनका आभारी हूं ।

**इसके पश्चात् सभा सोमवार, २२ फरवरी, १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।**